बेघरों का सफ़रनामा

घर से शेल्टर तक की यात्रा के पड़ाव...

चित्र साभार : रवि कुमार स्वर्णकार

Vigyan Foundation

actionaid
End Poverty. Together.

लेखन एवं संकलन :
डा0 क्रान्ति कुमार निगम

मार्गदर्शन
श्री अरविन्द कुमार
कार्यक्रम प्रबन्धक
एक्शनएड, लखनऊ

अध्ययन के साथी :
जितेन्द्र मौर्या, विज्ञान फाउण्डेशन, इलाहाबाद
रामरक्षा यादव, विज्ञान फाउण्डेशन, कानपुर
मयाराम वर्मा, विज्ञान फाउण्डेशन, लखनऊ
रोहित शर्मा, हितैषी समाजसेवी संस्था, आगरा
मो0 आरिफ, सेंटर फॉर पीस एण्ड हार्मोनी, वाराणसी
मोनिका सिंह, लक्ष्मी संस्था, गाज़ियाबाद
मुकेश कुमार, एन ब्लॉक संस्था, मेरठ

प्राक्कथन

बेघर शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है? कभी सोचा कि कैसे कोई घर से बे–घर हो जाता है। कभी भरे पूरे परिवार के साथ मेहनत–मज़दूरी कर जीवन जीने वाला कैसे और किन परिस्थितियों में सड़क–फुटपाथ पर, अवैध समझी जाने वाली झोपड़ पट्टी में या सरकारी रैन बसेरों में बिखरा–बिखरा से जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, ऐसे ही प्रश्नों की पड़ताल करने के उद्देश्य से इस छोटी सी पुस्तिका पर काम शुरू किया गया। कोशिश थी कि बिना किसी तय फॉर्मेट के, उत्तर प्रदेश के छोटे–बड़े कुछ शहरों में जा कर शहर में बेघरी की स्थिति में रहने वाले लोगों की स्थिति–परिस्थिति जाँची–समझी जाए और फिर उनकी कहानी, उनकी सहमति से लोगों के सामने लाई जाएं।

दूसरा एक उद्देश्य यह समझना भी था कि सर्वोच्च न्यायालय के सन् 2010 के आदेश के फलस्वरूप हर एक लाख की आबादी पर साल के 365 दिन व 24X7 खुलने वाले स्थायी रैन बसेरों की आज की स्थिति क्या है और क्या उनके खुलने से बेघर समुदाय के जीवन में कोई गुणात्मक फर्क आया है, क्या थोड़ा भी स्थायित्व उनको मिल पाया है।

इस प्रक्रिया में इस पुस्तिका के रचनाकार डा0 क्रान्ति कुमार निगम के अनुभवों का एक लेखा–जोखा मज़दूरों, कूड़ा बीनने वालों और रिक्शा चालकों की नन्हीं जीवनियों के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत है।

आशा है कि आप इन मर्मस्पर्शी कहानियों के माध्यम से समाज में जाति व्यवस्था के कुप्रभाव, पारिवारिक कलह,सम्पत्ति के झगड़े व पारम्परिक पेशों के खत्म होने से बेघरी का शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे।

इसी उम्मीद के साथ,

संदीप खरे

सचिव

विज्ञान फाउण्डेशन

वर्ग-1

जाति का दंश

मजूरी ठाकुर भी करता है!

इस वैयक्तिक अध्ययन अर्थात् केस स्टडी के शीर्षक पर महज मत जाइये क्योंकि यह लेखक की लेखनी से नहीं जन्मी है बल्कि उस युवक की जुबानी है जो आगरा में सड़कों की इंटरलॉकिंग करके अपनी जीविका चलाता है। बलिया के बासडीह का रहने वाला है दीनानाथ सिंह। बासडीह बलिया जिले की एक विधान सभा भी है जहां आज भी सामन्ती 'संस्कारों' का वजूद और बोलबाला है। उ0प्र0 की राजनीति में पूर्वांचल के योगदान पर चर्चा कभी और हो सकती है लेकिन यह तय है कि पूर्वांचल की ज़मीन आज भी सामन्तवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों की दबंगई के कारण उर्वर हैं, बंजर नहीं! भारतीय संविधान ऐसी दबंगई का निषेध करता है लेकिन ऐसी निषेधात्मक व्यवस्थाओं का संचालन जब 'उन हाथों' में हो तो उनकी व्यवस्थाओं से उपजे उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट वे भी होते हैं जिसकी कल्पना शायद दबंगों ने भी नहीं की होगी। जी हाँ! दीनानाथ सिंह की जुबानी है कि– मजूरी ठाकुर भी करता है!

दीनानाथ से हमारी मुलाकत आगरा के शमशाबाद स्थित लेबर चौराहा राजपुर चुंगी पर हुई थी। विगत ढाई साल से वह शमशाबाद के इस लेबर चौराहे पर है। दिहाड़ी मज़दूरों की आजीविका के ऐसे केन्द्रों की गिनती शहर में लगभग 18 है। यकीन मानिये कि ऐसे लेबर चौराहों की गिनती शायद सरकारों की व्यवस्थाओं और उनकी नियमावलियों में भले ही न दर्ज़ हो या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लेबर चौराहों पर खड़े मज़दूरों का चिह्नीकरण भले ही सरकारी प्राथमिकताओं का हिस्सा न हो परन्तु ऐसे लेबर चौराहों की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था आपको छोटे–छोटे कस्बों और शहरों में भी आज अवश्य दिख जायेगी।

बहरहाल बात ठाकुर की मजूरी की! दीनानाथ सिंह के पास 1 बीघा ज़मीन है। बासडीह की ज़मीन पर उसका कब्ज़ा भी है लेकिन 1 बीघे की किसानी से उसका क्या भला होगा? दीनानाथ शादीशुदा है और दो लड़कों का पिता भी है। दीनानाथ के अनुसार– ''जब तक परिवार में बंटवारा नहीं था, सब ठीक चल रहा था लेकिन बंटवारे के बाद सब कुछ बदल गया।'' पिता ने बड़े भाई की जिद के चलते ज़मीनें बांट दी और दीनानाथ इस अनचाहे बंटवारे का शिकार हो गया। शादी बंटवारे के पहले हो गयी थी और उसके बाद उसकी जिन्दगी भी बँटी, वह भी कई टुकड़ों में। दो बच्चों का पिता दीनानाथ दसवीं परीक्षा पास है लेकिन वह आगे भी पढ़ना चाहता था। असमय शादी और बंटवारे ने उसे मज़दूर बना दिया। वह गर्व से कहता है कि आज इस लेबर चौराहे पर जितने मज़दूर खड़े होते हैं, तुलना की जाय तो मैं उन्नीस नहीं, बीस पड़ूँगा मगर मजबूरी यह है कि जीविका कैसे चलेगी? परिवार और बच्चे कैसे पलेंगे? एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया और आगरा शहर के लेबर चौराहों के जातीय आंकड़े यह इंगित भी करते हैं कि नब्बे प्रतिशत से भी ज्यादा मज़दूर दलित हैं जो रोज़ इन चौराहों पर काम की तलाश में पूरा दिन व्यतीत करते हैं।

दीनानाथ के बीस पड़ने की तुलनात्मक व्याख्या लेबर चौराहों पर दलितों की मौजूदगी से ही आंका गया लगता है। खैर, दीनानाथ स्वयं को अब विशिष्ट जाति का नहीं मानता। ढाई वर्षों में उसकी धारणा भी बदल गई है। वह बताता है कि आगरा में जाटवों की बहुलता है। एक बार मैं किसी सम्पन्न जाटव के घर काम करने गया। मैंने रविदास और अम्बेडकर की फोटो उसके घर में देखी तभी यह अंदाजा लग गया कि यह 'चमार' का घर है। ट्रक से सीमेंट, मोरंग और बालू उतारने के बाद दल सिंगार सिंह ने चाय पिलायी और मेरी तरफ देखकर बोला– कहाँ का रहने वाला है? मैंने अपनी जगह बतायी लेकिन उसने मेरी जाति भी पूछी। दलसिंगार सिंह ने पीठ ठोंकते हुए मुझसे कहा– चल बढ़िया है, मजूरी ठाकुर भी करता है, यह आगरे में ही है। दीनानाथ को यह बात समझ में भी आई कि भाई ने बंटवारे की जिद नहीं की होती तो आज उसे ये ठोकरें नहीं मिलतीं।

काम के बदले रुपयों का मिलना और उससे मनुष्य की आजीविका का संचालन और जिम्मेदारियों को निर्वहन एक कामकाजी दिहाड़ी जीवन के हिस्से का अभिन्न पहलू है। परन्तु जाति और जातीय पहचान से श्रम के विभाजनों की शास्त्रीय परम्परायें मज़दूर को ठाकुर और दलित बनाने में भी भेद करती हैं, यह शर्मनाक है!

बहरहाल, दीनानाथ नगर निगम जोनल ऑफिस कैम्पस, लोहामण्डी पर बने रैन बसेरे में पिछले डेढ़ साल से रहता है। लेखक ने यह जानना चाहा कि क्या फ़र्क़ महसूस करते हैं अपने घर और आगरा के फुटपाथ में? फुटपाथ और इस रैन बसेरे में? दीनानाथ इस बात से आश्वस्त है कि उसे अब दर–दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। उसे याद है जब वह राजामण्डी रेलवे स्टेशन पर खाली पड़ी जगहों पर अपनी रात बिताता था। ठीक स्टेशन के सामने बने पार्किक में काम करने वाले मण्टू ने उसे रैन बसेरों के बारे में बताया था। वह बताता है कि इस रैन बसेरे और फुटपाथ में ज़मीन–आसमान का फ़र्क़ है। रेलवे स्टेशन पर अक्सर जी.आर.पी वाले रात में खदेड़ देते थे। दीनानाथ को राजपति यादव से कोई शिकायत नहीं है। राजपति इस रैन बसेरे का चपरासी है। फुटपाथ से यहाँ आकर वह खुश है लेकिन रैन बसेरे की व्यवस्थाओं से वह कत्तई सन्तुष्ट नहीं है। पीने के पानी से लेकर शौचालय सब खस्ताहाल हैं। बस सुकून इतना भर है कि सर ढकने के लिए एक ठिकाना है और राहत इस बात की कि अब पुलिस वालों की गालियाँ नहीं मिलतीं।

ज़रूरतों के लिए दर-बदर

अर्जुन भारती की उम्र 35 वर्ष है। वे आटरवाँ, तिवारीपुर, गाम–चंदौली के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति से हैं। वे कक्षा–2 तक पढ़े हैं। उनका पैतृक व्यवसाय मज़दूरी है।

माता–पिता के देहान्त के बाद अपनी पत्नी, बेटी, तीन बहनों एवं दो भाईयों के साथ रहने वाले अर्जुन आज एक सामान्य मज़दूर हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे आर्थिक संकट और सामाजिक बहिष्कार के कारण वे आज कष्टों में अपना समय गुज़ार रहे हैं । 35 वर्षीय अर्जुन की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई जिसकी वजह से पूरे घर का कार्य भार अपने ऊपर आ गया। सारे परिवार का भरण–पोषण करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं था। उनका परिवार काफी बड़ा था जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चंदौली जिले में काम के अभाव के कारण वे 12 वर्ष पहले वाराणसी में बस गए और मज़दूरी करना आरम्भ कर दिया। वाराणसी में प्रारम्भ में काम न मिलने के कारण वे भिक्षा मांग कर अपनी ज़िन्दगी गुज़ारते थे। जब इससे उनकी आर्थिक

स्थिति में कोई बदलाव न हुआ तो वे नालों की साफ–सफाई के कार्य में लग गए। नालियों की सफाई से उन्हें थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। जिससे उनकी रोज़मर्रा की जिन्दगी चल जाती थी। परन्तु कुछ समय बाद यह काम भी बन्द हो गया। वे रास्तों पर इधर–उधर सोते। ठंड में जहाँ जगह मिलती वहां पर अपनी रात गुजार लेते थे।

शिक्षा के अभाव में वह अपना कोई सरकारी दस्तावेज भी नहीं बनवा पाये जिसके कारण उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी या अन्य संस्थाओं से काम मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद उन्हें भवन मज़दूरी का काम मिल गया। रात गुज़ारने का प्रबन्ध न होने के कारण नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे में रहने लगे। भवन मज़दूरी में भी खास कमाई न होने के कारण उन्हें अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है। रैन बसेरे में भी उचित प्रबन्धों के अभाव में जैसे–पानी की व्यवस्था, साफ–सफाई की व्यवस्था एवं अन्य ज़रूरत की चीज़ों के अभाव की वजह से उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी है। ऐसी स्थिति में यह तय नहीं हो पा रहा है की जीवन को कैसे संचालित किया जाये जिससे कि वह स्वयं अपना तथा अपने परिवार का पालन–पोषण कर सके और समाज में सम्मान से जी सके।

'जाति' और 'जोत' दोनों से बेदखल

जनपद बहराइच में सधुवापुर एक गाँव का नाम है। सधुवापुर ब्राह्मण बाहुल्य है। वहीं का रहने वाला है राम धीरज बाजपेयी जिसकी उम्र आज 26 वर्ष है। राम धीरज के पिता का नाम अंजोर बाजपेयी है और वे 12 बीघा ज़मीन के मालिक हैं। खेती लायक ज़मीन में गेहूँ, धान, गन्ना और तिलहन सभी फ़सलों का पैदावार होता है। राम अंजोर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से है जिसे पूरा गांव भी उतना ही सम्मान देता है जिसके वे 'हकदार' हैं। गाँवों में आज भी हकदारी दो करणों से मानी और गिनी जाती है। पहला यह कि आपकी जातीय किस्म क्या है? दूसरा कि आप कितनी जोत के मालिक हैं? राम अंजोर दोनों ही स्थितियों में अनुकूल हैं। 'जाति' और 'जोत' जब दोनों ही स्थितियाँ आपके अनुकूल हों तो ग्रामीण परिवेश की सत्ता संरचना में आपके नाम की तूती बोलती है, यह समाजशास्त्र की सबसे प्रामाणिक ग्रामीण व्याख्या है। यह बात यहाँ इसलिए भी कही जा रही है कि इस पूरी कहानी का किरदार अर्थात् रामधीरज जाति और जोत दोनों से ही बेदखल है। मुद्दे पर सीधी बात करें तो राम धीरज अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही धैर्यवान युवक है। हाईस्कूल उत्तीर्ण राम धीरज अपने पिता राम अंजोर के भविष्य का सबसे काबिल लाठी था, ऐसा उसके पिता मानते थे। यह धारण तब तार–तार हुई जब राम धीरज ने अपनी ही बुआ की बेटी से शादी का फैसला किया। बुआ दूर की थीं परन्तु मामला नज़दीकी था। नजदीकी स्कूल की पढ़ाई के दौरान बढ़ी और पूनम धीरे–धीरे उसकी जिन्दगी और उसकी जद्दोजहद का हिस्सा हो गई। राम धीरज पढ़ा–लिखा है और उसका यह ऐलान कि–'शादी पूनम से ही होगी' पिता राम अंजोर को यह बात भीतर तक झकझोर गई। पूनम राम अंजोर के बहिन की बेटी है। उसने भी हाईस्कूल उत्तीर्ण किया और वह आगे पढ़ना चाहती थी। राम धीरज और पूनम ने सारी बन्दिशों के बावजूद अन्ततः शादी कर ली। उनकी शादी ने राम अंजोर के समूचे सामाजिक ताने–बाने को छिन्न–भिन्न कर दिया। परम्परागत रूप से यह चला आ रहा है कि ब्राह्मण जाति विवाह के समय पतरा और गोत्र ज़रूर देखती हैं। राम धीरज ने दोनों ही मानकों को धता बता दिया। हिन्दू वर्णव्यवस्था में

सर्वोपरि ब्राह्मणवादियों की यह व्यवस्था अन्य वर्णों पर लागू नहीं होती। जैसे दलित और पिछड़ों में इसका चलन ही नहीं है। जाटव की शादी धोबी अथवा पासी में नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही अहीर जाति का व्यक्ति कुर्मी अथवा तेली में अपनी शादी नहीं कर सकता। ठीक इसके विपरीत मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे, वाजपेयी, अवस्थी, चतुर्वेदी, जोशी और भट्ट अपनी ही जातियों में नहीं करते। यह विधान पुराना है। राम धीरज ने ऐसे ही विधान से बगावत कर पूनम को अपनाया है। आज मज़बूरन वह मज़दूर है। और अपना और अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए दलितों–पिछड़ों की पाँत में खड़ा है।

रामधीरज आज लखनऊ के चिनहट स्थित रैन बसेरे में रहता है। रैन बसेरे से थोड़ी दूरी पर ही लेबर अड्डा है जहाँ वह रोजाना काम की तलाश में खड़ा होता है। रामधीरज बताता है कि रैन बसेरे में वह पिछले सात महीने से रह रहा है। हालांकि इस रैन बसेरे में न पीने के पानी की व्यवस्था है और शौचालय काम करता है लेकिन इसके बावजूद भी यह एक पक्का ठौर तो है ही। रामधीरज के अनुसार महीने में 10 या 15 रोज ही बमुश्किल काम मिल पाता है। अतः कमाई उतनी नहीं हो पाती कि रहने के लिए किराये का मकान ले सके। रैन बसेरा तो निःशुल्क है इसलिए किरायेदारी का झंझट नहीं। साथी मज़दूरों का साथ मिल जाता है और इस प्रकार समय भी कट जाता है। रामधीरज अपनी मेहनत से गाँव में ही ज़मीन खरीदना चाहता है। शायद पिता द्वारा जमीन–जायदाद से बेदखल किये जाने के बाद रामधीरज यह बतलाना चाहता है कि वह गलत नहीं है।

वर्ग-2

भूमिहीनता, कर्ज़ और पलायन का दर्द

मुहतरा से म्योराबाद तक: पार्वती बाई का सफ़रनामा

इलाहाबाद के म्योराबाद इलाके का गणेश नगर मुहल्ला जो तेज बहादुर सप्रू (बेली) अस्पताल से होकर जाने वाली इलाहाबाद–फ़ैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग तीन किमी0 उत्तर–पश्चिम गंगा जी के कछार में पड़ता है। यदि गंगा जी भी जुलाई–अगस्त के महीने में अपना पैर पसार देती है तो इस बस्ती के अधिकांश लोगों को पलायन करना पड़ता है। म्योराबाद से गणेशनगर मोहल्ले में प्रवेश करने पर श्री बजरंग बली का मंदिर है। इसी मंदिर के बगल में इस क्षेत्र के मज़दूर एकत्र होते हैं। यहां मिलीं छत्तीसगढ़ की रहने वाली पार्वती बाई साहू जो अपने पति के साथ रहकर बेघर मजदूर के रूप में विगत पन्द्रह वर्षों से यहाँ रहती हैं।

खनिज सम्पदा से सम्पन्न राज्य छत्तीसगढ़ की रहने वाली पार्वती बाई साहू जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और उनके पति शिवकुमार साहू उम्र लगभग 40 वर्ष, पेशे से राजमिस्त्री हैं और वे 160 ए, गणेश नगर म्योराबाद में रहते हैं। इनका छत्तीसगढ़ राज्य का पता–ग्राम–मुहतरा, जिला–मुगली छत्तीसगढ़ है। पार्वती के सास और श्वसुर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ छत्तीसगढ़ में ही रहकर खेती का काम करते हैं। परिवार का आकार बड़ा होने के कारण पार्वती का पति अपने गांव के आस–पास मेहनत मजदूरी का काम करता था लेकिन वहां मजदूरी इतनी कम थी कि घर का खर्चा नहीं चल पाता था और समय पर मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी जिसके कारण घरेलू तनाव बढ़ने लगा था। पार्वती का ज्येष्ठ इलाहाबाद में रहकर पहले से ही राजमिस्त्री का कार्य करता था उसी ने पार्वती के पति को इलाहाबाद अपने के लिए प्रेरित किया। प्रारम्भ में पार्वती का पति शिवकुमार अकेले इलाहाबाद आया और भाई की मदद से कुछ दिन काम करने के बाद पत्नी पार्वती को भी ले आया। धीरे–धीरे आज शिवकुमार भी राजमिस्त्री का काम करता है। इलाहाबाद आने के बाद पार्वती भी मज़दूरी करने जाने लगी। कभी पति के साथ तो कभी पति से अलग जैसा भी काम मिलता है, कर लेती है। दोनों शुरू से ही गणेश नगर में रहते है। इनका अपना आशियाना आज तक नहीं बन सका। पार्वती के चार बच्चे–दो बेटी और दो बेटे हैं जिसमें से दोनों बेटियों की शादी कर दी और बेटे पढ़ते हैं। पार्वती बताती है कि यहां प्रतिदिन 300–350 रुपये मिल जाता है लेकिन प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता। उसने अपने साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव से इंकार किया।

पार्वती ने सर्वप्रथम आवासीय समस्या की बात बतायी। एक किराये के कमरे में दो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने में समस्यायें होती हैं। पार्वती का वोटर कार्ड एवं बैंक खाता तो है लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। उसने कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। उसने आगे कहा कि यदि सरकार हम मज़दूरों पर ध्यान दे देती तो हम लोगों की कार्य कुशलता और बढ़ जाती।

बिलासपुर की सोनरी बाई

छोटे–छोटे कस्बों, शहरों और महानगरों के लेबर चौराहों पर खड़ी महिलाओं के बारे में शायद ही कोई अध्ययन हो सकता है कि उनकी जमात की जगहें आखिर कहां हैं? उ0प्र0 के सामाजिक–आर्थिक भूगोल में जिनकी दिलचस्पी है वे यह ज़रूर समझते होंगे कि इन छोटे–छोटे कस्बों, शहरों और महानगरों में ईंट के भट्ठों पर काम करने वाली इन महिलाओं की स्थानिक प्रस्थिति कैसी और कहाँ की है। अधिकांशतः ईंट भट्ठों पर काम करतीं ये महिलाएं छत्तीसगढ़ की होती हैं। छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर का प्रतिनिधित्व आंकड़े में सर्वोपरि है। अपभ्रंश में इन्हें 'बिलासपुरिया' कहकर संबोधित किया जाता है। बिलासपुरिया एक स्थानिक पहचान है जिससे हिकारत और उपेक्षा के कारण कमतर आंका और समझा जाता है। श्रमशील मज़दूरों को हिकारत और उपेक्षा की दृष्टि से देखना हमारे बौद्धिक उपचार की ओर संकेत करता है, इसमें कोई सन्देह भी नहीं है।

तथ्यतः बिलासपुर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक ज़िला है। राज्य की राजधानी नया रायपुर से 133 कि0मी0 उत्तर में स्थित बिलासपुर प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है। राज्य का उच्च न्यायालय भी इसी शहर में स्थित है इन कारणों से भी इसे ''न्यायधानी'' होने का भी गौरव प्राप्त है। बिलासपुर सुगंधित 'दूबराज' चावल की किस्म के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ हथकरघा उद्योग से निर्मित कोसे की साड़ियां भी देश भर में विख्यात हैं। बिलासपुर संस्कृति से भी समृद्ध है और यहां की संस्कृति अनेक विविधताओं एवं रंगों को समाहित किये हुए है।

अनुसूचित जनजातियों को भी जातियों में बांटने वाले हमारे छोटे विभागों से लेकर बड़े विभागों के बाबू अर्थात क्लर्क से लेकर आई.ए.एस तक यह नहीं जानते कि अनुसूचित जनजातियों में जाति नहीं होती। बिना जाति की ये जनजातियां भारतीय समाज का जातिविहीन हिस्सा हैं। जिनकी संस्कृति, खान–पान, पहनावा, बोली और भाषा प्रचलित राजनीति की जातीय व्याख्याओं का हिस्सा कदापि नहीं हैं।

'मैना' जनजाति की सोनरी बाई इसी बिलासपुर की रहने वाली है। बिलासपुर से आगरा आये हुए उसे पांच बरस बीत चुके हैं। सोनरी 40 के पार है और पति 45 वर्ष का। खेतिया है उसके पति का नाम। वह बताती है कि शहर में सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित रैन बसेरों की संख्या पचास से भी ऊपर है लेकिन सपरिवार रहने की स्थाई व्यवस्था किसी में नहीं है। शहर के किनारे का झाड़ और जंगल साफ़ कर बनायी गई झोंपड़ी में सोनरी अपने पति और बच्चे के साथ रहती है। सोनरी के दो बच्चे थे। एक असाध्य बीमारी के कारण बेटा आज से तीन साल पहले सरोजनी नायडू अस्पताल में ही मर गया था। खेतिया तब रोज के कमाये हुए पैसों में से तीन चौथाई हिस्सा उसके हाथ में रख देता था।

बच्चे की असामयिक मृत्यु ने मैना दम्पति को भीतर तक तोड़ दिया। खेतिया इस सदमे से हलकान था। बीमार वह भी रहने लगा। सोनरी डटी रही और बचे हुए पैसों से पति का इलाज कराती रही। खेतिया अब काम पर नहीं जाता। वह घर की रखवाली करता है। काम करने सोनरी जाती है। लेबर चौराहों पर खड़ी महिलाओं को लोग–बाग आवारा और बदचलन समझते हैं, सोनरी यह भी बताती है। सोनरी को महीने में 10 या 12 रोज़ काम मिलता है और उसी से पूरे परिवार का गुजारा होता है। दिन भर काम की थकान के बाद घर का चौका भी वह बखूबी संभालती है। सोनरी की

दैनिक जीवन चर्या पर नज़र डालिए तो यह मालूम होता है कि वह रोज सुबह 5 बजे जगती है। आस–पास की झाड़ियों में शौच आदि से निवृत होने के बाद वह पति और बच्चे को जगाती है। सोनरी झाड़ियों में शौच जाते समय बहुत सचेत रहती है कि कोई पुरूष अथवा जानवर उस पर हमला न बोल दें। सवाल था दोनों में किसका डर अधिक होता है। जानवर को तो डंडे से भगा देते हैं लेकिन आदमियों से अधिक डर लगता है, सोनरी बताती है। इन्सान को इन्सान से अधिक डर लगता है। सेफ और स्मार्ट सिटी की कवायदों में करोड़ों खर्चने वालों के मुंह पर यह सोनरी का तमाचा है। सोनरी बताती है कि लेबर चौराहे पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं होती। पीने का पानी भी नहीं मिलता। दुकानों के सामने सुबह से ही खड़ा होना पड़ता है। बरसात और तेज धूप में तो खड़ा होना सम्भव नहीं होता। सोनरी अपने पति और बच्चों की परवरिश के लिए हर रोज़ लेबर चौराहे पर आती है। सवाल यह भी था कि पति के ठीक होने के बाद क्या वह काम करना बन्द कर देगी? सोनरी सवाल को ही ठीक करती है अब काम बन्द नहीं होगा। सोनरी पूरे हौसले से यह बात रखती है। गुरबत के दिनों के लिए बचाये पैसे अब खतम हो गये हैं। दिहाड़ी मज़दूरी पर टिकी है सोनरी की जिन्दगी। सोनरी जैसी और भी महिलाएं हैं आगरा के लेबर चौराहों पर। सभी अलग–अलग क्षेत्रों से आईं हैं। लेकिन यह शहर उन्हें बिलासपुरिया के नाम से ही पुकारता है।

सुपियार रहमान का ईमान

गृहस्थ व्यक्ति की यह सोच और यह सपना होता है कि उसका परिवार एक सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन बसर करे। गृहस्थ अपने परिश्रम, संघर्ष और बलिदान के बदले अपने प्रियजनों की सहूलियत के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तत्पर और तैयार रहता है। कुछ–कुछ इसी जुड़ाव और जोखिम से जमी है सुपियार रहमान की ज़िन्दगी। सुपियार रहमान की उम्र 57 वर्ष है और सप्रमाण वे अपना मतदाता पहचान पत्र भी दिखाते हैं जो पूर्वोत्तर के जलपाईगुड़ी का है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले सुपियार रहमान पिछले 35 वर्षों से कानपुर में रहते हैं। घर में पत्नी और एक बेटा है। 22 वर्ष की उम्र में सुपियार रहमान कानपुर आ गये थे और आज उनका बेटा भी 22 वर्ष का हो गया है यह सोचकर उनका सीना गर्व से फूल जाता है। रहमान के पास तीन बीघा ज़मीन है लेकिन उर्वर न होने की वजह से वह काम लायक नहीं। उन्हें कानपुर शहर से कोई रंज नहीं। शहर ने रहमान को रोज़ी दी है और वे काबिल राजमिस्त्री हैं। रहमान को 350 से 400 रूपये तक की मज़दूरी मिल जाती है। रहमान की तुलना है कि हमारे गाँव उदापड़ा बारूबड़ी में कोई काम नहीं मिलता और मिल भी जाये तो 250 रूपये वहाँ की अधिकतम मज़दूरी है। रहमान खुश हैं कि अब फुटपाथ पर सोने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। शहर में रैन बसेरे बना दिये गये हैं, सर छुपाने की यह सर्वोत्तम और सुरक्षित व्यवस्था है। कानपुर के चाचा नेहरू अस्पताल के समीप स्थित रैन बसेरे में वे पिछले 2 वर्षों से रह रहे हैं और यहां उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कानपुर में सस्ता भोजन उपलब्ध है। मात्र 10 रूपये में चार रोटी और 5 रूपये में सब्जी की व्यवस्था रहमान के पोषण की गारण्टीयुक्त योजना है। वह बताते हैं कि मूलगंज चौराहे पर हमें यह भरपेट भोजन आसानी से उपलब्ध है। चूंकि शहर में आये दिन धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं अतः इनमें आयोजित भण्डारे से प्राप्त भोजन बचत का सबसे सटीक जुगाड़ है। रहमान का बेटा 10वीं पास है और बेरोज़गार है। उसके शैक्षिक विकास की बात पर रहमान अपनी उदासी को बयान करते हैं–''लड़का पढ़ा–लिखा है, नौकरी हमारे पुश्तों ने भी

नहीं की इसलिए लड़के को कारीगर बनायेंगे।''

सुपियार रहमान का यह कितना बड़ा त्याग है कि वह अपने परिवार और बच्चे को छोड़कर कानपुर के रैन बसेरे में रहने को अभिशप्त है। रहमान का ईमान पक्का है। वह पाँचों वक्त का नमाज़ी नहीं है। मज़दूर मज़दूरी के समय यदि नमाज़ अदा करने लगे तो मालिक उसे कैसे बख्शेगा? हाड़–तोड़ मेहनत करके अपने बच्चे और परिवार का भरण–पोषण करना रहमान की नज़र में खुदा की सबसे बड़ी इबादत है। साथी मज़दूर उसे अपना अभिभावक मानते हैं। वह कोई नशा नहीं करता। अपने काम में धनी और धुनी है। रहमान को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती। रैन बसेरे में सर ढकने के लिए छत के सिवाय उसे कभी कुछ नहीं मिला। श्रम विभाग का मुख्यालय कानपुर में है। लेकिन किसी भी मज़दूर को इस रहस्य का पता नहीं। यदा–कदा कुछ स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि/कार्यकर्ता आते रहते हैं और थोड़ी उम्मीद बँधाते हैं। इन उम्मीदों की बदौलत उनकी जीवटता में कोई परिवर्तन हुआ है, यह बड़ा सवाल है जीने की यह नायाब कला है जिसमें त्याग है, बलिदान है, संघर्ष है और वह ईमान है जो ऐसे रहमानों को अब तक बचाये हुए है।

गुरबत और जहालत के बीच

कानपुर एक औद्योगिक शहर है। यहां के उद्योग–धन्धों से लाखों घर और परिवारों का गुजारा होता है। उद्योग–धन्धों का नगर होने के कारण ही यहां सिर्फ़ यू0 पी0 ही नहीं देश के अनेक हिस्सों से श्रमिक और दिहाड़ी मज़दूर रोजी कमाने के लिए आते हैं। मज़दूरों की दशा और दिशा को पूरे सन्दर्भों में आपको समझना हो तो आपको 1990 के दशक की पड़ताल भी करनी होगी जिसे हम भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण कहते हैं, उसकी शुरूआत इसी समय होती है बड़ी अफ़रा–तफरी में भारत विश्व–ग्राम का हिस्सा बनता है। सही तो यह भी है कि बड़े पैमाने पर लोगों की रोज़ी–रोटी छीन लिए जाने, उन्हें बेरोज़गार बनाने, कारख़ाना मालिकों द्वारा छंटनी करने का क्रम भी इसी समय से आरम्भ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व की परिस्थितियाँ यथा वे सामाजिक हों या आर्थिक बहुत बेहतर हालात में थीं। दरअसल वह समय चुनाव का था अर्थात् सलेक्शन का कि हम कैसी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था को चुनना चाहते हैं। और हमने (अर्थात् हमारी सरकार ने) चुना उस आर्थिक व्यवस्था को जिसकी बदौलत विकास का बुल्डोज़र हमारी समूची व्यवस्था पर अबाध गति से चलने लगा। इसने ग़रीबी का हौलनाक मंज़र उपस्थित किया। परिणामतः किसान क़र्ज के दुष्चक्र में उलझने लगे। उनकी जीवटता दरकने लगी। दस्तावेज़ों में दर्ज पहली मर्तबा किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने को मजबूर हुए। खेतिहर मज़दूरों का व्यापक स्तर पर पलायन हुआ। नतीजतन शहर में झुग्गी बस्तियों का आकार बढ़ा। गुरबत और जहालत की हदें फिर से मुकर्रर की जाने लगीं।

इसी गुरबत और जहालत के बीच बुधराम की जिन्दगी है। सवाल था कि बुधराम कब से इस शहर को जानते हैं। जवाब था जब काम करने लायक हुआ, इस शहर में ही गुजारा हुआ। बुधराम चूंकि बुधवार को पैदा हुए थे इसलिए इनका नाम बुधराम पड़ गया। आज बुधराम की उम्र 66 वर्ष हैं। बुधराम उ0प्र0 के सबसे पिछड़े ज़िलों में एक बलरामपुर के रहने वाले हैं। बुधराम की पत्नी मर चुकी है। एक बेटा और एक बेटी के पिता बुधराम ने अपनी बेटी की शादी कानपुर के कल्याणपुर में ही कर दी थी जब वे कानपुर के कारोबारी सेठ नबी अहमद की बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे। बुधराम का बेटा एक हादसे में खतम हो गया। बुधराम की ज़िन्दगी में न बेटा रहा न पत्नी। वे

बताते हैं कि–''बाबू जी सन् 1965 से 1982 तक मैंने सेठ नबी अहमद की बेकरी/बिस्कुट कारखाने में काम किया। उसी कमाई से मैंने घर की देखभाल की और बेटी की शादी भी।'' हालात और मंजर बदले, बुधराम के मालिक नबी अहमद की फैक्ट्री बन्द हो गई। नबी साहब बीमार रहने लगे थे। और शहर के कारखानों से मुकाबला नबी साहब की वश में नहीं था। वारिस भी नबी साहब को उबार नहीं सके और अन्ततः कारखाना बन्द हो गया। हमने पूछा कि बलरामपुर अर्थात् अपने पैतृक ठिकाने पर जाना क्यों नहीं कुबूल किया। बुधराम फफक पड़े कि साहब पहली बात कि हम भूमिहीन हैं। बेज़मीनों की क्या जायदाद होती है? यह बड़ा सवाल था कि गांव में जमीन नहीं तो फिर गांव क्यों जाना? इसका एक परोक्ष किन्तु आवश्यक पहलू यह भी है कि बेज़मीन होने के साथ ही इन्सान अपनी ऐतिहासिकता अर्थात् गाँव के संबंध, रिश्ते और अपनापन सभी से कट जाता है। कारखानों का शहर कानपुर का यह 'केस' अर्थात् बुधराम की जिन्दगी हमारे समाज के बड़े हिस्से पर रोशनी डालती है। बुधराम से लेखक की मुलाकात कानपुर के एक्सप्रेस रोड स्थित रैन बसेरे में हुई। रैन बसेरा एक भवन मात्र है परन्तु उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। बुधराम स्वयं बयान करते हैं कि बच्चूलाल यहां का चपरासी है लेकिन कभी–कभार ही वह यहां आता है। हमने यह पाया कि रैन बसेरे में प्रायः ताला पड़ा रहता है उसकी चाभी पड़ोस के व्यापारी के पास भी है। व्यापारी किसी कागजी नुक्ताचीनी अर्थात् लिखा–पढ़ी को देखकर रैन बसेरे की आदर्श स्थितियों का बयान करने लगता है जबकि वहां किसी भी कमरें में रोशनी तक की व्यवस्था नहीं है। बुधराम के अनुसार यह तो नया भवन है, इसके नीचे कानपुर विकास प्राधिकरण का यह खुला हॉल है जिसमें सभी मज़दूर सोते हैं।

बहरहाल बुधराम ईंटा तोड़ाई, झौवाबाजी, मलबा ढोना और खुदाई का काम करते हैं। जीवन में पसरे दुःख और बेबसी को बुधराम बयान तो कर सकते हैं परन्तु उन्हें यह मालूम है कि इस शहर में जो विकास का बुल्डोज़र चला है वह धन्नासेठों, पूंजीपतियों को मालामाल करेगा ही ऐसे तमाम बुधराम भी पैदा करेगा जो गुरबत और जहालत में जीने को फिर से मजबूर होंगे।

रैन बसेरे में सुअर पालन

इलाहाबाद के संगम परिक्षेत्र में नगर निगम इलाहाबाद द्वारा स्थापित अल्लापुर बाधम्बरी स्थायी रैन बसेरा धार्मिक स्थल आलोपी मन्दिर से लगभग दो किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह रैन बसेरा लगभग तीन से पांच बीघा भूमि पर बनाया गया है जिसमें पांच कमरे, दो बरामदा, आँगन एवं एक रसोईघर बना हुआ है। पहले शौचालय नहीं बना था लेकिन अब बन गया है। पानी और बिजली सप्लाई की भी व्यवस्था है लेकिन हैण्डपाइप नहीं लगा है। लेखक ने बेलदार देव नारायण जी से बातचीत के दौरान पाया कि बिजली न होने पर पानी की समस्या होती है। रैन बसेरे के प्रांगण में कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है। वैसे इलाहाबाद में कुछ ग्यारह स्थायी रैन बसेरा एवं दस अस्थायी रैन बसेरा हैं।

देव नारायण से बात करने के बाद बगल में आग तापने वाले लोगों में से पचपन वर्षीय श्रीराम बचन पुत्र स्व0 फूलचन्द जो पिछड़े वर्ग के बिन्द जाति से संबंधित है और उनका पता–ग्राम बादशाहपुर पो0 सादियाबाद, तहसील–जखनिया, ज़िला–गाज़ीपुर है। राम बचन से प्रारम्भिक बात–चीत के दौरान पता चला कि उनके पिता जी भी गांव में रहकर खेती का काम करते थे लेकिन खेत का आकार छोटा होने से परिवार का भरण–पोषण अच्छे से न हो पाने के कारण खाली समय में गांव

पर ही मजदूरी का काम कर लिया करते थे। श्री राम बचन भी अपने पिता के साथ लगभग बारह या तेरह वर्ष की अवस्था से ही मजदूरी करना प्रारम्भ कर दिया इससे विदित होता है कि शिक्षा से इनका कोई संबंध नहीं था। समय बीतने के साथ रामबचन की शादी फुलझड़ी से हुई जिनसे चार लड़का एवं एक लड़की है। बड़ा परिवार होने के कारण रामबचन को रोजगार की तलाश करनी पड़ी लेकिन इनका गांव गाज़ीपुर मुख्यालय से लगभग चालीस किमी0 दूर होने के कारण शहर पहुंचना मुश्किल था, इसलिए गांव में ही मजदूरी करते रहे। गांव में न तो रोज काम मिल पाता था और न ही उचित मजदूरी। इसी कारण रामबचन अपने किसी परिचित के साथ पहली बार लगभग दस वर्ष पहले इलाहाबाद काम करने के लिए आये। पहली बार जब रामबचन इलाहाबाद आये तो इलाहाबाद स्थित दारागंज मौजी का टोला में किराये के कमरे में रहते थे। काम के अभाव में कमरा छोड़कर इनको गांव वापस जाना पड़ा। बाद के दिनों में जब काम की तलाश में फिर इलाहाबाद आये तो पुनः अल्लापुर स्थित लेबर चौराहे पर काम की तलाश में जाना प्रारम्भ किये लेकिन रोज काम न मिलने के कारण दोबारा किराये का कमरा न ले सके।

रामबचन साथी मजदूर के साथ पहली बार तीन वर्ष पहले इस रैन बसेरे में आकर ठहरे थे, उसके बाद जब भी इलाहाबाद आते हैं तो यहीं आकर ठहरते हैं। अब तो अपने साथी मजदूरों को भी यहीं ठहरने की सलाह देते हैं। जब लेखक ने यह जानना चाहा कि रैन बसेरे में कैसे प्रवेश पाते हैं तो उन्होंने बताया कि पहचान पत्र की एक छायाप्रति यहां जमा करना पड़ता है और जिनके पास पहचान पत्र नहीं होता है उन्हें अपना मोबाइल नं0 देना पड़ता है तभी प्रवेश दिया जाता है। जब लेखक ने रामबचन से तीन वर्ष पहले की व्यवस्था और वर्तमान की व्यवस्था में अन्तर जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि पहले रैन बसेरे में बिजली, पंखा, शौचालय, पानी की व्यवस्था, दरी, गद्दा आदि की व्यवस्था नहीं थी किन्तु अब उपरोक्त सारी सुविधायें यहां पर उपलब्ध हैं। यह पूछे जाने पर कि उपरोक्त सुविधायें प्रयोग करने के बदले या प्रवेश के समय आपसे किसी प्रकार का सुविधा शुल्क तो जमा नहीं कराया जाता तो वहां बैठे सभी लोगों ने एक स्वर में नकार दिया। भोजन आदि की व्यवस्था की जानकारी लेने पर पता चला कि सभी लोग अपनी सुविधानुसार खाना बनाते हैं। कुछ लोग बाहर से खाकर तो कुछ लोग पेट्रोमैक्स या लकड़ी की आग पर भोजन बनाते हैं लेकिन रैन बसेरे की ओर से किसी रसोइयें के न होने की जानकारी मिली। सुरक्षा के विषय में जानकारी लेने पर बताया गया कि अभी तक यहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना तो नहीं घटी लेकिन स्थानीय लोगों से कभी–कभी विवाद हो जाता है क्योंकि ये लोग इस रैन बसेरे का प्रयोग सुअर पालन केन्द्र के रूप में करते हैं। महिलाओं के विषय में जानकारी लेने से पता चला कि बहुत ही कम महिलायें यहां ठहरने के लिए आती हैं और ठहरने पर उन्हें कोई समस्या भी नहीं होती है। यह पूछे जाने पर कि क्या आप लोग यहां की व्यवस्थाओं से सन्तुष्ट है या कोई कमी है तो यहां पर उपस्थित सभी लोगों ने लगभग वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट दिखे। आगे रामबचन ने कहा कि हम मजदूरों के लिए इतनी व्यवस्था पर्याप्त है क्योंकि बाहर रहने पर इतनी ही सुविधा के लिए भारी रकम देनी पड़ती है। विभिन्न पहलुओं पर मेरे चर्चा करने से पता चला कि न तो रामबचन किसी मजदूर संघ का सदस्य है, न ही उसे इसके विषय में कोई जानकारी है। जब मैंने उनसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के विषय में बताना शुरू किया तो सभी लोग आश्चर्य चकित दिखे और सभी ने ऐसी जानकारी के विषय में अनभिज्ञता जतायी।

वर्ग-3

वो जिनके पास नाम का एक घर है....

झोपड़ पट्टी का राजू

संगम पेट्रोल पम्प के पीछे तालाब की भूमि पर स्थापित सोहबतिया बाग में बस्ती में रहने वाला राजू भारतीय उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 अदन भारतीय पिछड़ी जाति से संबंधित है।जब लेखक ने राजू भारतीय से उसके पैतृक निवास के विषय में जानना चाहा तो उसने बताया कि मेरे माता–पिता का स्वर्गवास कब हुआ मैं नहीं जानता, मेरा लालन–पालन उस समय रेलवे लाईन सोहबतिया बाग के स्थापित झोपड–पट्टी के किसी दम्पत्ति ने किया था। राजू तीस वर्ष की उम्र तक इसी बस्ती में रहने के बाद आज वर्तमान झोपड़–पट्टी में लगभग पन्द्रह वर्षों से अपनी पत्नी सुषमा एवं चार बच्चे जिनमें तीन बेटियां एवं एक बेटा है, के साथ रहता है। राजू के बच्चे पढ़ाई में होनहार हैं। बेटा राजकीय इण्टर कॉलेज में पढ़ता है एवं सबसे छोटी बेटी शहर के जगत तारन गर्ल्स इण्टर कॉलेज में पढ़ती है। राजू स्वयं अशिक्षित है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत उत्साहित है।

राजू मुख्य रूप से पुताई का काम करता है। खाली समय में अन्य काम भी कर लेता है, जब काम मिलने की दिक्कत होती है तो वह दलालों के माध्यम से काम प्राप्त करता है लेकिन ऐसे में सामान्य मज़दूरी जो वर्तमान में 300 रुपये प्रतिदिन है से कम ही मिलता है। राजू की पत्नी सुषमा भी चौका बर्तन का काम करने जाती है। राजू अपने काम में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है। राजू से जब लेखक ने जब झुग्गी के रहन–सहन के विषय में जानना चाहा तो उसने कहा कि हम झुग्गी वालों में कोई दिक्कत नहीं है सभी प्रेम से रहते हैं लेकिन झुग्गी के स्थायित्व को लेकर चिन्ता बनी रहती है कि जब भी नगर निगम चाहेगा हम लोगों को भगा देगा।

दूसरी समस्या सुरक्षा की दिखी। राजू कहता है कि दूर–दराज से पानी लाना, खुले में स्नान एवं शौच करना भी एक बड़ी समस्या है। आज समाज में इसी समय बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बस्ती के करीब एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय तो है लेकिन इन लोगों के लिए मंहगा पड़ता है। अगली समस्या गन्दगी की है। जहाँ पर कोई चहारदीवारी न होने के कारण चोरी जैसी घटनायें आम बात है। इसके अतिरिक्त घूमने वाले जानवर जैसे सुअर और कुत्ते घरों के भीतर तक पहँच जाते हैं। राजू ने आगे मांग करते हुए कहा कि हम झुग्गी वालों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अभी तक सिर्फ राजू का सफेद राशन कार्ड ही बना है जिस पर पैतीस किलो राशन नहीं मिल पाता है। मिट्टी का तेल एवं चीनी कभी–कभी ही मिलती है। राजू ने स्वास्थ्य कार्ड की मांग की।

राजू से बातचीत करके ऐसा लगा कि यदि इन बेघर लोगों की आधारभूत समस्याओं का स्थायी समाधान कर दिया जाय तो इन लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जायेगी। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ इन गरीबों तक पहुँचा कर ही सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को पूर्ण किया जा सकता है।

वर्ग-4

रिक्शेवालों की दास्तान...

रिक्शे पर सौतेली ज़िन्दगी

माँ के आंचल का वो साया और बचपन में दोस्तों के साथ धूल–मिट्टी में खेलने के दिन। क्या वे खूबसूरत नज़ारे थे जब मई–जून की तपती धूप और नवम्बर–दिसम्बर की हाड़ कंपाती ठंड भी हमें दोस्तों के साथ खेलने से नहीं रोक पाती। गरीबी का कोई ज्ञान नहीं बस पेट भरना जरूरी था चाहें वे जूठन ही क्यों न हों। मनीराम को क्या पता था कि जिन्दगी में आने वाले दुखों के लिए इतनी खुशी एक खतरे की घंटी है मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही मनीराम अपनी माँ की आँचल से महरूम हो गया। इसके बाद मानों मनीराम के सभी मुसीबतों का पहाड़ टूटता गया जिसे मनीराम ने स्वीकार कर उनका सामना किया। आज सड़क के किनारे रिक्शे पर ही मनीराम का पूरा जीवन निर्भर है।

अपने जीवन के 7वें, 8वें एवं 9वें वर्ष में मनीराम दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। जब मनीराम 9वें वर्ष में कदम रखा उसी समय उसकी माँ का देहान्त हो गया। एक वर्ष पश्चात मनीराम के पिता श्री शहजादे (अब स्वर्गीय) ने दूसरा विवाह कर लिया। 10 वर्ष की अवस्था में मनीराम को एक सौतेली माँ मिली। किन्तु उन्होंने बच्चे का लालन–पालन करना उचित नहीं समझा। मनीराम को लगा आजीविका चलाने के लिए साइकिल रिक्शा भी एक विकल्प है। किन्तु साध्य नहीं है। साईकिल रिक्शा चलाने वाले अधिकतर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से निम्न तबके से आते हैं जो मुसाफिरों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ग़ाज़ियाबाद नगर निगम के अनुसार शहर में लगभग इसके दो गुने होंगे अर्थात् साठ हज़ार। रिक्शा वही चलाता है जिसकी माली हालत नाजुक हो। रिक्शा चलकों का जीवन असुविधायुक्त और ख़तरनाक होता है क्योंकि रिक्शा चालक के पास घर नहीं, जब घर नहीं तब सड़क ही अपना घर है। सड़क पर चलते समय यदि कोई दुर्घटना हो जाये तो फिर जीवन ही बर्बाद। मनीराम जैसे 60 हज़ार रिक्शा चालकों के जीवन का कोई मूल्य नहीं क्योंकि सड़क दुर्घटना में रिक्शा चालक की चोट लगने से लेकर मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की मदद की दरकार होती है।

मूल रूप से मौरतला, (शाहजहाँपुर) का रहने वाला 56 साल का मनीराम मिर्जापुर, नरायण अस्पताल के सामने (गाज़ियाबाद) में लगभग 20 वर्ष से स्वयं का रिक्शा चला रहा है किन्तु बीमारी, दुघर्टना आदि के लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। बीमारी या दुर्घटना में व्यक्ति तो रिक्शा चलायेगा नहीं। जो पैसे हैं वे इलाज में खत्म भी हो जायेंगे, फिर व्यक्ति कैसे इलाज करायेगा? जबकि ये रिक्शा चालक एक प्रकार से पर्यावरण मित्र भी हैं।

पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए नदियों की सफाई के लिए सरकार करोड़ों रूपये खर्च कर देती है। टाटा को पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने के लिए कम मूल्य एवं रियायती दर पर स्थान एवं धन मुहैया करा दिया जाता है जबकि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना सम्पूर्ण

सहयोग दे रहा है उसे समाज और सरकार से भी नफ़रत तिरस्कार और असहयोग ही मिलता है। यह एक त्रासदी से कम नहीं है।

मज़दूर बाप का मज़बूर बेटा

विक्रम कुमार जिसकी आयु 18 वर्ष है, डुमरावां, नालन्दा बिहार का रहने वाला एक युवा है जिसने अपनी युवावस्था पर कदम रखा है। कार्य रिक्शा चलाना और आवास ग़ाज़ियाबाद के असुविधा युक्त नासीरपुर फाटक का रैन बसेरा है। विक्रम के पिता गांव में रहते हैं और अपने पैतृक व्यवसाय (बाल काटने का कार्य) कर रहे हैं। विक्रम ने 12 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया और रोज़गार की तलाश में दिल्ली के पास फ़रीदाबाद में किसी संबंधित के माध्यम से रु0. 3000.00 प्रति माह पर नौकरी मिल गयी। कुछ माह कार्य करने के पश्चात वेतन रु0. 5000.00 प्रतिमाह हो गया तभी विक्रम की सौतेली माँ और पिता श्री नित्यानन्द शर्मा भी फ़रीदाबाद आ गये और विक्रम के साथ रहने लगे। विक्रम अपना कुल वेतन माता–पिता को देता फिर भी माँ (सौतेली) को शक बना रहता कि विक्रम अपने वेतन का पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है। विक्रम अब अपने घर पर रु0.4000 ही दे कर रु0. 1000.00 अपने जेब खर्च के लिए रख लेता इसलिए कि सौतेली माँ के द्वारा भर पेट भोजन नहीं दिया जाता था। अब आये दिन सौतेली माँ और विक्रम के बीच झगड़े और मार–पीट होती रहती थी। विक्रम ने निश्चय कर घर छोड़ दिया।

विक्रम जब डेढ़ माह का था तभी उसकी माँ की असामयिक मृत्यु हो गयी थी। विक्रम से बड़ी उसकी चार बहनें हैं जिनका विवाह हो गया है और वे अपने घर पर रहती हैं। अपनी चारों बहनों का विक्रम लाडला भाई भी है। विषम पस्थितियों में बहनों ने अपने भाई विक्रम को आश्रय और सहयोग भी किया। किन्तु विक्रम यह निश्चय कर चुका था कि घर छोड़ना है। बचपन में स्कूल जाने पर सौतेली माँ की गाली और मार–पीट मिलती थी। घर का कार्य करने पर भी मार खाने को मिलता था। पिता जहाँ मजदूरी का कार्य करते विक्रम को साथ लेकर चले जाते जिससे कि बेटा मार खाने से बच जाये। बचपन से ही पिता द्वारा मज़दूरी का कार्य देखकर बेटे ने भी मज़दूरी में ही हाथ आजमाया और मज़बूर बाप का मज़दूर बेटा बन गया। फिर भी सौतेली माँ के कारण उसकी ज़िन्दगी नारकीय बन गयी। कोई रास्ता नहीं मिला इसलिए ''मैं तो चला जिधर चले रिक्शा''। वर्तमान समय में विक्रम ग़ाज़ियाबाद में स्वयं रिक्शा चलाता है। दिन भर रिक्शा चलाने पर रु0. 300.00 से 400.00 मिल जाते हैं किन्तु प्रतिदिन इतना नहीं मिल पाता। औसतन रु0. 250. 00 प्रतिदिन के दर से विक्रम प्राप्त कर लेता है। खाने के लिए निम्न स्तरीय होटल का खाना खाता है जिसमें लगभग रु0. 100.00 से 150.00 तक खर्च हो जाते हैं। रहने के लिए रिक्शा ही घर बन जाता है अथवा किसी रैन बसेरे में रात गुजर जाती है। शौच एवं स्नान के लिए सुलभ शौचालय का उपयोग करता है।

विक्रम जैसे लोग हमारे समाज एवं व्यवस्था से ही निकले हुए हैं। दिन हो या रात लोगों को उनके गन्तव्य घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं किन्तु स्वयं घर के लिए मोहताज़ हैं।

वर्ग-5

अपनों के सताए और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से बंधे..

सत्यपाल का सत्य

भारतीय समाज में परिवार नामक संस्था पति–पत्नी के संबंधों से प्रारम्भ होती है। प्राकृतिक रूप से तो बहुत जीव–जन्तु भी नर–मादा के जोड़े में रहते हैं। स्थाई रूप से इसी नर–मादा के संबंधों को मनुष्य के समाज में पति–पत्नी कहा जाता है। परिवार नामक संस्था के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इस संस्था में पत्नी को पति की अर्द्धांगिनी की संज्ञा दी गयी है। अर्थात् एक पुरूष पत्नी के अभाव में आधा है। सत्यपाल का वर्तमान जीवन भी उसी अभाव का शिकार है क्योंकि पत्नी की मृत्यु वर्ष 1999 में ही हो गयी थी।

65 साल का सत्यपाल दिलावरा गांव मेरठ में कृषि एवं पशुपालन करता था जिससे घर गृहस्थी चलती थी। इनके दो पुत्र हैं। जो इनका कार्य में हाथ बटाते थे। उनमें से बड़े पुत्र का इन्होंने विवाह कर दिया। परिवार खुशहाल एवं सुखी रहता था। अचानक पत्नी की मृत्यु ने सत्यपाल को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। इधर बड़े पुत्र की पत्नी यानि सत्यपाल की बहू, सत्यपाल की उपेक्षा करने लगी। ये घटनाएं उसके पुत्र के सामने ही होती थीं। प्रत्येक दिन छोटी–छोटी मनगढ़ंत बातों को लेकर बहू अपने सुसर से लड़ने–झगड़ने लगती थी। सत्यपाल के पास पूंजी के नाम पर 40 भेड़, 2 बैल एवं 5 बीघा भूमि थी लेकिन उसके बड़े पुत्र ने सभी पशुओं को बेच दिया और भूमि पर कब्जा कर लिया। इधर बहू का अत्याचार उधर पुत्र का सम्पति पर कब्जा। सत्यपाल टूटने लगा उसने अपने छोटे पुत्र को घर–बार सौंप दिया। ''तुम दोनों भाई आधा–आधा हिस्सा कर लेना हमारी चिन्ता मत करना हम कहीं भी खा कमा लेंगे। जब तक बाजुओं में ताकत है तब तक जीवन यापन कर लूँगा।'' इतना कह कर सत्यपाल घर से रोते हुए निकल जाता है और मेरठ शहर में आकर मजदूरी करने लगता है। दिन भर की मजदूरी 200–250 रुपये तक मिल जाती है। वृद्ध होने के कारण नियोक्ता सत्यपाल को वह कम अहमियत देते हैं जिसके कारण माह में 10–15 दिन ही कार्य मिलता है। श्रम से कमाये इन्हीं पैसों से वह अपना गुजारा भत्ता चलाता है। दिसम्बर की ठंड़ में सत्यपाल के पास मात्र एक कम्बल ही था। रहने के लिए बच्चा पार्क का रैन बसेरा।

सत्यपाल के पास पहचान पत्र के रूप में निर्वाचन का परिचय पत्र है किन्तु लेबर पंजीयन नहीं है। पेंशन के लिए तो सत्यपाल की आयु है किन्तु लेबर पंजीयन नहीं होने के कारण वह इसके लिए योग्य नहीं है। लेबर पंजीयन के विषय में उसे कुछ नहीं पता इसलिए उसने इसके लिए कभी प्रयास भी नहीं किया। अन्य वृद्ध या बेघर लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वह स्वयं पर आत्मविश्वास कर मेहनत मज़दूरी करता है।

ऐसे में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज और परिवार ने तो मुँह मोड़ ही लिया अब सरकारें एसे निराश्रित के लिए क्या करती हैं, यह देखना अभी बाक़ी है।

गोरखी का बड़प्पन

गोरखी जाटव ग़ाज़ियाबाद के भोजपुर गांव का रहने वाला है। दो भाइयों में गोरखी छोटा है। बड़े भाई के साथ ही रहना होता था। गोरखी को बड़े भाई पर अटूट विश्वास था, इसलिए निश्चित होकर दोनों भाई साथ रहकर परिवार चलाते थे। परिवार सब अच्छा चल रहा था और गोरखी का विवाह भी हो गया। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने से दोनों भाई अलग–अलग रहना चाहने लगे। गोरखी घर बनवाने के लिए पैतृक जमीन में खुदाई करवाने लगा। बड़े भाई ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा ''ये सब ज़मीन मेरे नाम है इसलिए सभी पर मेरा हक है''। गोरखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक भाई दूसरे भाई को ऐसा कैसे कह सकता है। परिवार में तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ और जहाँ तक हिस्से की बात है तो जमीन का आधा हिस्से पर तो मेरा भी हक बनता है। बड़े भाई का जवाब था कि तुमने अपना हिस्सा भी हमारे नाम कर दिया है और उसका कागज भी मेरे पास है। गोरखी के पैरो तले की ज़मीन ही खिसक गयी। फिर उसे याद आया कि बड़े भाई ने एक बार किसी कागज पर उसका अंगूठे का निशान लगवाया था। बड़े भाई ने छोटे भाई से एक प्रकार से धोखेबाजी से पैतृक भूमि अपने नाम कर लिया। अब गोरखी जाये तो जाये कहाँ? करे तो क्या करे? बड़े भाई को माफ़ कर दिया और पत्नी सहित पैतृक घर छोड़ दिया।

मेरठ के रिठानी की अम्बेडकर कॉलोनी में किराये का घर ही गोरखी का ठिकाना है वह यहाँ 20 वर्ष से रह रहा है। गोरखी की बड़ी पुत्री 14 वर्ष की है तथा छोटा पुत्र 10 वर्ष का है। गोरखी पल्लेदारी–मजदूरी कर परिवार चलाता है किन्तु बच्चों के पालन–पोषणा एवं पढ़ाई के लिए तनिक भी लापरवाह नहीं है। बच्चों के लिए नये कपड़े, प्राइवेट ट्यूशन के लिए बच्चों पर 200.00 रुपये खर्च करता है। लेखक ने पूछा कि आप मज़दूरी करते हैं और इतना खर्च कैसे कर पाते हैं? उन्होंने कहा ''हम सुबह में रात का बच्चा हुआ खाना खा लेते हैं, अपने एवं पत्नी के कपड़े सेकेंड हेंड (पुराने) ले लेते हैं किन्तु बच्चों के लिए खाना ताज़ा और कपड़े नये सिलवाते हैं। गोरखी अपने लिए गरीबी और अभाव की जिन्दगी तो महसूस करता है किन्तु बच्चों पर इसकी आँच नहीं आने देता।

गोरखी के पास कोई राशन कार्ड नहीं, कोई श्रमिक पंजीयन नहीं, कोई बीपीएल कार्ड नहीं। अर्थात सरकार द्वारा गरीबों, मज़दूरों एवं मजलूमों के लिए चलाई जा रही योजनाएं गोरखी के लिए निरर्थक हैं। एक गोरखी ही नहीं गोरखी जैसे बहुतेरे ऐसे लोग हैं। अखिर ये योजनाएं किस काम की हैं और किसके लिए? जिसको जरूरत है उस तक पहुंचती ही नहीं। क्या ये योजनाएं सरकारी दफ्तर और सरकार की शोभा बढ़ाने के लिए बनी हुई हैं या धरातल पर भी कार्यान्वित होंगी।

पारम्परिक हुनर की फीकी पड़ती चमक और अशिक्षा...

कभी फुटपाथ तो कभी रैन बसेरा

40 वर्षीय, राजाराम, मिर्ज़ापुर में स्थित हासापुर गांव के रहने वाले हैं। घर में पत्नी, बेटे और बहुओं के साथ दो बच्चे भी हैं जिससे उनका परिवार काफी बड़ा है। जब वे 16 वर्ष के थे उनके पिता का देहान्त हो गया। और इसी शोक में उनकी माता का एक महीने के अन्दर ही स्वर्गवास हो गया। उनका पारम्परिक पेशा मल्लाह यानि नाव चलाने का था। घर की आर्थिक हालात और भी दयनीय स्थिति में पहुंच गई जिस कारणवश उन्हें मज़दूरी का काम करना पड़ा। घर मे सबसे बड़े होने के कारण पूरी घर की ज़िम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ी।

चाचा एवं चाची के दबाव में आकर उन्होंने विवाह कर तो लिया परन्तु परिवार का पालन–पोषण करने के लिए सक्षम न थे। इस वजह से उनकी जिन्दगी अस्त–व्यस्त हो गयी थी। गांव में श्रम के अभाव में वे इधर–उधर भटकते रहते थे। पिछले 5 वर्ष पूर्व वे वाराणसी मे आ गए। अपने दिन में मंदिर में हो रहे दान–पून्य एवं भण्डारों के माध्यम से काट रहे थे।

2वर्ष पूर्व वे भवन मज़दूरी एवं रास्ता निर्माण के कार्य में लग गए। वहां से जो कुछ मिलता घर भोजन एवं कुछ अपने खर्च के लिए रखते। कार्य के अभाव एवं रहने का ठिकाना न होने पर उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी थी। कभी–कभी तो उन्हें रास्ते एवं फुटपाथों पे ही सोना पड़ता था। कभी–कभी अनके पास खाने के लिए भी कुछ न होता। कार्यस्थल में कम आय एवं हो रहे शोषण से पीड़ित राजाराम की स्थिति बहुत ही असमान्य हो गयी थी।

पिछले 2 महीनों से रैन बसेरा जो कि वाराणसी नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया है (श्रमिकों के रहने का स्थान) उसमें रह रहे हैं। दिन भर के परिश्रम के बाद वहां सोने जाते हैं। उनका कहना है कि वहां कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कभी–कभी तो उन्हें ज़मीन पर ही सोना पड़ता है। शुद्ध जल एवं कम्बल की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता तथा कोई सरकारी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड आदि न होने के कारण मज़दूरी मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है।

अशिक्षा, अभाव और दैनिक मज़दूरी

मूल रूप से ग्राम गौराही, थाना–अदलहात, मिर्ज़ापुर के 30 वर्षीय लाखेदु जब 7 वर्ष के थे तब उनके पिता जो कि पेशे से नाई थे का देहान्त हो गया। घर का बड़ा लड़का होने के कारण सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही थी। घर की जिम्मेदारी की वजह से वह पढ़ नहीं पाये, निरक्षर ही रहे। बहुत ही कम उम्र में जब उन्हें स्कूल में होना चाहिए था तब उनका विवाह कर दिया गया।

अब उनके दो पुत्र हैं।

उनका पैतृक व्यवसाय नाई का था। उसके न चलने के कारण उनका और उनके घर के सदस्यों का जीवन–यापन कठिन हो गया। भोजन–पानी की भी दिक्कतें आने लगीं। तब लाखेदु अपना गांव छोड़कर 8 वर्ष पहले वाराणसी आ पहुंचे।

पहले उन्होंने भाड़े पर रिक्शा चलाया। थोड़ी बहुत दिक्कत होने के बावजूद उन्हें जितना मिलता उतने में उनका निर्वाह हो जाता और थोड़ा बहुत घर में भेज भी देते थे। परन्तु कुछ समय बाद बुरी संगत एवं शिक्षा की कमी के कारण उन्हें शराब और जुए की बुरी लत लग गयी और उनका काम भी छूट गया। उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गयी और मानसिक रूप से वे अस्वस्थ रहने लगे।

अपने हालात सुधारने के लिए उन्होंने एक बार फिर कार्य प्रारम्भ किया। दो महीना पहले नगर निगम द्वारा निर्मित रैन बसेरे में रहने लगे और नज़दीक के लेबर चौराहे पर काम की तलाश में भटकने लगे। आर्थिक रूप से कोई मदद न मिलने के कारण वे अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान में वे आज एक दिहाड़ी मज़दूर हैं। सच तो यह भी है कि मज़दूरी रोज नहीं मिलती। कभी–कभार मजदूरी मिलती भी है तो यह इतनी नाकाफ़ी होती है कि पूरा परिवार इससे चल नहीं सकता। इस रैन बसेरे में भी कठिनाईयां कम नहीं। कम्बल एवं अलाव की ज़्यादा सुविधा नहीं है। ठंड के दिनों में एक पुराने कम्बल से काम चलाना पड़ता है। भोजन आदि की भी सुविधा नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक भूखों सोना पड़ता है। इन सब कारणों से उनकी स्थिति और भी दुखःद है।

शिक्षा की कमी एवं जागरूकता के अभाव के कारण सरकार द्वारा चलाई गई मुहिमों एवं सुविधाओं से अपरिचित हैं। और इसी वजह से उनके पास न तो कोई पहचान पत्र है और न ही कोई और दस्तावेज़।

हुनर के बावजूद हैरान!

पूर्वांचल के आखिरी छोर पर स्थित कुशीनगर ज़िले से महज दो किमी. की दूरी पर बसा है बरवा महदेवा। रमेश वहीं का रहने वाला है। गाँव में हेल्परी करते–करते वह भवन निर्माण का कुशल कारीगर हो गया। लेखक ने पूछा कि गाँव में अपना पक्का मकान नहीं बनवाया तो बोल पड़ा–''इसी इरादे से दो साल पहले शहर में आये थे लेकिन यहां भी लगता है कि मेरी मुराद पूरी नहीं होगी।'' कारण पूछने पर रमेश ने बताया कि यहाँ महीने में 10 या 12 रोज ब–मुश्किल काम मिल पाता है। 350 या 400 रुपये की 10 दिन की दिहाड़ी से रमेश को सिर्फ़ अपना ही नहीं अपने चार बच्चों व पत्नी का भरण–पोषण भी करना है। रमेश 8वीं पास है लेकिन उसकी पत्नी अनपढ़ है। सवाल था कि बच्चों की पढ़ाई–लिखाई कैसे होगी? रमेश आश्वस्त है कि ''हम इस 'झंझट' में नहीं पड़ते। पढ़ाई–लिखाई करके नौकरी तो मिलनी नहीं है अतः दोनों लड़कों को राजमिस्त्री का काम सिखा देंगे और लड़कियों को पढ़ाने की क्या गरज? उम्र चढ़ने के बाद उन्हें ब्याह देंगे और जिन्दगी चैन से!'' सवाल अब भी ज़िन्दा था कि अपने घर–मकान का क्या होगा। रमेश को विश्वास है कि उसके लड़के और वह खुद कमाकर अपना मकान बना लेंगे। यह एक कारीगर का बयान है जिसके साथी उसे एक पक्का मिस्त्री बताते हैं। रमेश कुम्हार जाति का है, उसे लगता है

कि उस जैसे लोग जातिगत व्यवसाय से अपना गुज़ारा नहीं कर सकते। मसलन मिट्टी के बर्तनों का चलन अब महज पारम्परिक अनुष्ठानों तक सीमित रह गया है। रमेश ने अपना जातिगत व्यवसाय जमाने की चाल को देखते हुए छोड़ दिया है। रमेश की उम्र 45 वर्ष है वह शरीर से भी चुस्त–दुरूस्त है। लेखक ने पूछा कि लेबर अड्डों पर मिले काम की मज़दूरी रोज़ाना मिल जाती है इसके अलावा भी सरकार के कुछ प्रावधान हैं जिसका लाभ पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। रमेश अपनी भोजपुरी में बोल पड़ता है–''कइगो दलाल घूमत रहेलें लेकिन हमनी के इ चक्कर में ना पड़ेलिंजा।'' भवन निर्माण की कारीगरी में सिद्धहस्त रमेश को शहरी दलालों की बाज़ीगरी का भी ज्ञान है। कोफ़्त इस बात से होती है कि उ0प्र0 शासन की निगमित संस्था उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड इस पूरी कहानी से अनजान है या कुछ ऐसा है कि हम देख कर भी नहीं देखते। दलाली इसी निष्क्रियता का उपोत्पाद है।

चिनहट स्थित रैन बसेरे में रमेश लगभग डेढ़ वर्ष पहले आया था। लखनऊ राजधानी में समूचे उ0प्र0 के विभिन्न शहरों से आये लोग यहाँ मिल जायेंगे। इसके बावजूद भौगोलिक रूप से समीप ज़िलों, कस्बों, शहरों और गाँवों के लोग ही इन रैन बसेरों में बहुतायत में मिलते हैं। रमेश भी इसी स्थानान्तरण का हिस्सा है। पूर्वांचल की सारी बसें चिनहट से होकर ही गुजरती हैं। रमेश भी अपनी जान–पहचान के कारण चिनहट स्थित रैन बसेरे में आ गया। यहाँ इसको कोई शिकायत नहीं। रमेश के अनुसार– ''मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं।'' रैन बसेरा रमेश के लिए किसी उपहार से कम नहीं। रमेश बताता है कि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि एक अनजान शहर में कोई स्थाई ठौर भी हो सकता है उसके लिए। रमेश शौच व स्नान के लिए सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करता है। कीमत चुकानी पड़ती है वहाँ! रैन बसेरे में यूँ तो दोनों ही प्रबन्ध हैं परन्तु चालू हालात में नहीं। रमेश को इससे न कोई रंज है और न शिकायत। वह इतने मात्र से ही खुश है कि ऐसे शहर में कम से कम रात गुजारने के लिए पक्की दीवारों की छाया तो नसीब हो जाती है। यह बात अलग है कि इन पक्की दीवारों का समुचित प्रबन्धन सर्वथा नदारद है।

वर्ग-7

कूड़ा उठाने वाले

शिक्षा और सुविधाओं के अभाव में बचपन:

माता–पिता एवं भाई–बहनों के साथ रहने वाला 20 वर्षीय छोटू रविदास चंदौली के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से उन्हें अपनी पढ़ाई कक्षा–6 के बाद बन्द कर देनी पड़ी। भाई और बहनों की शादी के बाद पूरी जिम्मेदारी छोटू के ऊपर आ गयी जिसकी वजह से उन्हें अपना गाँव छोड़ वाराणसी आना पड़ा।

वाराणसी में आने के बाद उन्होंने कई दिनों तक बिना किसी पैसे के ही काम किया। 20 वर्ष के छोटू को अपने माता–पिता का पेट पालने के लिए मज़दूरी करनी पड़ी। जिस उम्र में उन्हें स्कूल में होना चाहिए था, उस उम्र में मज़दूरी करके गुजारा करना पड़ता था।

पिता ने दो शादियाँ की थी। पारिवारिक कलह एवं क्लेश के कारण वे 5 वर्ष पहले वाराणसी आ गए और इधर–उधर काम के सिलसिले में भटकने लगे। उन्होंने बहुत छोटी सी आयु में शादी लाइन में 50 रुपये से अपना कार्य शुरू किया। बहुत भटकने के बाद वे पिछले 10 दिनों से रैन बसेरे में अपना गुजारा कर रहे हैं।

मज़दूरी करते–करते उन्हें शराब एवं जुए की लत लग गई है। रैन बसेरे की हालत भी कुछ खास नहीं है। बस कह सकते हैं कि सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था है और बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। कम्बल, पीने का पानी, ठंड में अलाव की सुविधा तो है परन्तु वह भी पर्याप्त नहीं है। छोटू को अपने पुराने और फटे हुए कम्बल से ही रात गुज़ारनी पड़ती है। रैन बसेरे में उचित मात्रा में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उन्हें छोटी सी आयु में ही भयंकर संकटों का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षा के अभाव के कारण सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और न ही कोई साथी संगठन इनके सहयोग के लिए आगे आता है। इनकी दुष्कर स्थितियों के लिए आखिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाये?

वर्ग-8

जिन्हें रैन बसेरों में सहारा मिला

कचोट से निजात

ओमकार का पूरा नाम ओमकार कुमार गौतम है। रैन बसेरे में सभी उसे 'ओम' के नाम से पुकारते हैं। अपनी 27 साल की जिन्दगी में उसने बहुत उतार–चढ़ाव देखे हैं। पिता रामलोटन आज से पांच बरस पहले पक्षाघात का शिकार हो गये और तब से वह बिस्तर पर ही पड़े हैं। ओमकार कहता है कि पिता की बीमारी ने पूरे परिवार को कर्ज़दार बना दिया और इसी का नतीजा है कि वह सीतापुर का अपना गाँव खटकरी कला छोड़ लखनऊ आ गया। लखनऊ उसे रास आता है। वह इस शहर की जमकर तारीफ़ करता है। वह कहता है कि पाँच बरस पहले जब मैंने मज़दूरी शुरू की तब नहीं सोचा था कि सारे वे काम चाहें कर्ज हो या पिता का मर्ज, आसानी से निपटा पाऊँगा। वह मेहनती बहुत है, यह बात वह बयान भी करता है। वह खुश होकर बताने लगा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी शादी तय की है। अप्रैल में शादी भी हो जायेगी और वह भी बिना दहेज के। लेखक ने जानना चाहा कि दहेज क्यों नहीं तो उसने बताया कि मैंने जिस घर में अपनी शादी पक्की की है वे बहुत अच्छे लोग हैं। लड़की के बाप ने ही हमें शुरू में सहारा दिया था। वह भी मज़दूर हैं और मुझे शुरू से ही बहुत मानते हैं। पाँच बरस पहले मैं इसी चिनहट तिराहे पर खड़ा था। मेरे पास न काम था और न पैसे। मैंने सोचा कि किसी बड़े–बुजुर्ग की मदद ली जाय, रास्ता वही बतायेंगे। संकटा वहीं थोड़ी दूर पर खड़े चाय पी रहे थे। मैंने कहा–बाबू जी हमको भी काम करना है, काम मिल सकता है यहाँ? संकटा ने कहा–काम तो आज हमको भी नहीं मिला है। इसलिए चाय पी रहे हैं। फिर धीरे–धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा और मैंने अपनी आप बीती 'चाचा' संकटा को सुना दी। ओमकार उन्हें चाचा ही कहता है। वह आगे बताने लगा कि वह भी हमारी जाति के ही हैं और एक बार मेरे गाँव भी गये हैं शहर में कौन अपना होता है, ओमकार ने लम्बी साँस खींचते हुए कहा। लेखक ने पूछा कि पाँच वर्षों में तुमने कर्जा भी पाट दिया, पिता का इलाज भी करवाया और अब शादी की बारी है। ओम का जवाब था– बाबू जी, मेरे बाप ने जिससे कर्जा लिया था, उसमें हमारी ज़मीन भी गिरवी थी। यह बात हमको बहुत खलती थी। दोस्तों–यारों में भी बात होती थी तो हम शीतर तक धँस जाते थे। मन में कचोट यही थी– 'साले का कर्जा निपटा कर ज़मीन ले लूंगा।' इसी जुनून और ज़ज्बे ने हमसे वह सब करा डाला। नशा मैं करता नहीं, तो खर्चा काहे का, ओम ने पूरे आत्म विश्वास से यह बात कही।

कर्ज़ और कटान का मारा बिन्द्रा प्रसाद

उ0 प्र0 के लखीमपुर खीरी जनपद से 35 कि0मी0 की दूरी पर स्थित गाँव रूरा सुल्तानपुर शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। शारदा नदी सिंचाई और तबाही दोनों की गवाह है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था से जहाँ खेतों से अनाज और फसलों का उत्पादन होता है वहीं उसकी कटान से

सैकड़ों गाँव अेर हज़ारों घर कटान से त्रस्त होकर लखनऊ के लेबर चौराहों पर काम माँगने पर विवश हैं। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जो 10 बीधे ज़मीन का मालिक होने के बावजूद भी भूमिहीनता का शिकार हैं। नदी आज की नहीं है अतः तबाही भी उतनी ही पुरानी है। पिछले 15 वर्षों से लखनऊ में दिहाड़ी मज़दूरी करता बिन्द्रा प्रसाद की उम्र लगभग 55 वर्ष है। बिन्द्रा ने बताया कि उसके दो लड़के और 4 लड़कियाँ हैं और सभी शादी–शुदा हैं। पूछने पर बिन्द्रा बताते हैं कि पूरे 2 लाख 50 हज़ार का कर्ज़ा लिया था तब बेटियों की शादी हो पायी थी। आज भी वे 1 लाख के कर्ज़दार हैं। उन्हें उम्मीद है कि धीरे–धीरे यह कर्ज़ भी निपट जायेगा। लेखक ने जानने की कोशिश की कि कर्ज़ की रकम पर ब्याज भी देना पड़ता है बिन्द्रा रूआँसे होकर कहते हैं कि आज तक ब्याज की रकम ही तो दे रहा हूँ, मूलधन तो कबका चुकता हो गया।

बी0 पी0 एल0 कार्ड धारक यानि ग़रीबी रेखा के नीचे का जीवन जीने को विवश बिन्द्रा जैसे हज़ारों हज़ार हैं जो महाजनी प्रथा का शिकार हैं। गिरी हुई माली हालत के कारण वे न तो शिक्षित हो पाते हैं और न ही उनके बच्चे इस ओर सोच पाते हैं। नतीजतन मज़दूरी ही उनका पीढ़ीगत पेशा बन जाता है। लेखक ने यह भी जानना चाहा कि शहर में श्रमिकों का पंजीकरण होता है तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं। बिन्द्रा का जवाब है– ''कोई बाबू जी आय रहें, फोटो माँगिन, 100 रु. भी लिहीस लेकिन कुछ भवा नहीं'' पंजीकरण के नाम पर पैसे ऐंठने का तिलिस्मी बाज़ार भी चलन में है, बात करने पर पता चला। सवाल उठता है कि ऐसी योजनाएं जो श्रमिकों को सहूलियत, राहत देने के नाम पर बनायी गई हैं, योजनाकारों ने जिसका सृजन बड़ी सूझ–बूझ से किया है वे इनकी पहुंच से बाहर क्यों हैं? बिन्द्रा सही कहते हैं–बाबू जी ये कागज का करतब है ये तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी।

चिनहट लखनऊ शहर के एक छोर पर अवस्थित है और रैन बसेरा चिनहट बाजार के बीचों–बीच। करीब दो वर्ष पहले बिन्द्रा प्रसाद को इस रैन बसेरे के बारे में जानकारी लगी। सवाल लाज़मी था कि इससे पहले बिन्द्रा प्रसाद कहाँ रहते थे? बिन्द्रा बताते हैं कि चिनहट कोतवाली के पास ही एक मन्दिर है और ठीक उसके सटे प्राथमिक विद्यालय भी है, वहीं रात कटती थी। मैंने यह जानना चाहा कि मन्दिर और विद्यालय के बाद इस रैन बसेरे में आपको क्या फ़र्क़ नजर आता है? मज़दूर बिन्द्रा प्रसाद को रैन बसेरा कई मायनों में सुरक्षित महसूस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले सभी दिहाड़ी मज़दूर हैं। और सबकी दशा कमोबेश एक है। बिन्द्रा के अनुसार एक अपनापन लगता है यहाँ! यहाँ कोई रोक–टोक नहीं। अपना बनाओ, आप खाओ। बिन्द्रा के सर पर आज छत है। सारा दिन कही रहो, शाम होते कम से कम एक ठिकाना तो है। गौरतलब है कि लेखक की बातचीत बिन्द्रा प्रसाद से तब हुई जब मौसम सर्द था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बिन्द्रा और उनके बीच एक अलाव का फासला भर था। अलाव जाड़ों की सर्द रातों में जीवन देने का काम करती है। बिन्द्रा जैसे हज़ारों–हज़ार मज़दूर इस शहर में बिना किसी रजाई और लिहाफ़ के कड़ाके की सर्दियों में ऐसे अलावों के सामने ही अपनी रातें काटते हैं। अलाव जाड़ों की जीवन दायिनी है। नगर निगम यदि इन अलावों का प्रबन्ध न करे तो उसके कम्बलों में न तो इतनी तपिश होती है और न कूवत कि वे ठिठुरन भरी रातों के तापमान का मुकाबला कर सकें। बिन्द्रा को गर्व है कि उनके पास एक स्थाई ठिकाना है जहाँ से दिन की शुरूआत हो सकती है और रात का इन्तज़ाम हो सकता है। रही बात दैनन्दिन मज़दूरी की तो उस पर किसी का क्या वश?

बचपन से पचपन तक धांधू

सभी जानते हैं कि यू0पी0 का शहर आगरा पर्यटकों की पहली पसन्द होती है। यमुना नदी के तट पर 6.6 मीटर ऊँचे तथा 93.3 मीटर वर्गाकार चबूतरे पर बना मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल आखिर किसको आकर्षित नहीं करता? हम यह भी जानते हैं कि नूरजहाँ के भाई आसफ़ खाँ की पुत्री अरजुमन्द बेगम अर्थात् मुमताज की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। इतिहास में दर्ज़ शाहजहाँ की बेगम मुमताज की याद में बना ताजमहल आज 'संगमरमर का स्वपन' और 'प्रवित्र प्रेम का प्रतीक' के रूप में जाना जाता है। यह ज़माने की बात है इसे यहीं छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं अथवा जानने की कोशिश करते हैं कि इसी शहर में ऐसे जिन्दा इन्सान भी रहते हैं जो भयंकर अमानवीय दशाओं में अपना जीवन बसर करते हैं।

धांधू भी इन्हीं ज़िन्दा इन्सानों में से एक हैं। उन्हें ठीक–ठीक तारीख और वर्ष याद नहीं लेकिन जब से काम करने लायक शरीर हुआ तब से इसी शहर की ज़मीन पर हैं। आज उनकी उम्र 55 वर्ष है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उम्र 65 और 70 के बीच होगी। धांधू जैसे लाखों–लाख हमारी शहरी व्यवस्था में सांस लेते हैं और गुमनामी के साये में ही पूरी जिन्दगी गुज़ार देते हैं। और यह बात दावे के साथ भी कही जा सकती है कि इस में कोई दो राय नहीं।

धांधू के गांव का नाम लुकतरा है जो यू0पी0 के बांदा ज़िले में पड़ता है। धांधू आठवीं पास हैं। यह उनकी योग्यता नहीं है अपितु यह उनकी पहचान है जो आगरा के लोहामंडी पर खड़े अन्य मज़दूरों से उन्हें अलग करती है। धांधू का बचपन बांदा का है। बुन्देलखण्ड के बांदा की ज़मीन निराली है। बुन्देलखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहां की सामाजिक व्यवस्था के मुकाबले कमतर अथवा भारी पड़ती हैं यह आज भी गहन शोध का विषय है। धांधू इस सवाल पर चुप रहते हैं। वे बोलते हैं कि ऐसे सवालों का बाबूजी यही जवाब है कि 'जिस पर बीतती है, वही जानता है'। धांधू भूमिहीन हैं। बेज़मीन धांधू एक लड़का और एक लड़की के बाप भी हैं। बेटी की शादी एक मजूर के लड़के से कर दी यह सोचकर वह आश्वस्त हैं। बेटी अपनी ससुराल में मजूरी करती है और धांधू आगरे में। उनका बेटा सचिन 21 वर्ष का है और वह उनसे दूर फव्वारे के लेबर चौराहे पर काम मांगता है और वह लोहामंडी पर। मजदूरी इस वर्तमान पीढ़ी के गुजारे की रीढ़ है। पूछने पर कि मज़दूरी कितनी मिल जाती है धांधू बताते हैं कि चूंकि अब उमर काम लायक नहीं रही तो जो मिल जाता है उसी को स्वीकारना हमारी नियति है। सरकार के सरोकारों पर धांधू की यह ख़ास टिप्पणी देखिये–''सरकार माने नेता और नेता माने चोरों का गिरोह'' इस आक्रोश की अभिव्यक्ति में धांधू के जीवनानुभवों की परछाई है जो हम जैसे किसी की समझ में आ जाय तो ठीक वरना धांधू जैसों की जिन्दगी को सरोकारों वाली सरकारों की न तो चाह होती है और न ज़िद!

पिछले दो साथ से धांधू लोहामण्डी स्थित नगर निगम जोनल ऑफ़िस कैम्पस में बने रैन बसेरे में रहते हैं। धांधू को यहाँ पूरा सम्मान मिलता है शायद उनकी ढलती उम्र के कारण यहाँ के अन्तःवासी धांधू को अपना अभिभावक मानते हैं। समझने वाली बात यह है कि जीवन के गुजारे के लिए बने वे गाँव हों या शहर, परिवार उसकी ईकाई होती है। परिवारों में तो खून के रिश्ते होते हैं। उन्हीं रिश्तों की रीढ़ पर परिवार अपना भविष्य रचता और गढ़ता है। रैन बसेरों में अनजान और अजनबी रहते हैं। इसके बावजूद उसमें निकटता और अपनापन का भाव एक सुखद अनुभूति की ओर संकेत करता है। धांधू इसी अनुभूति को रोज जीते हैं और वह भी बड़े गर्व के साथ।

संलग्नक-1

इलाहाबाद-शेल्टर होम की सूची

नगर निगम इलाहाबाद द्वारा संचालित कुल 11 शेल्टर होम्स (आश्रय गृह) हैं जिनकी सूची निम्नवत है–

1. दारागंज आश्रय गृह, जी.टी. रोड पर दुकानों के ऊपर समीप–रेलवे स्टेशन।
2. हैजा अस्पताल परिसर स्थित आश्रय गृह मटियारा रोड, निकट– रेलवे डाट पुल।
3. दारागंज वार्ड कार्यालय के ऊपर, जी.टी.रोड, निकट–प्राइमरी स्कूल।
4. बाघम्बरी गद्दी रोड, आश्रय गृह, निकट–बी.एस.एन.एल. कार्यालय।
5. फाफामऊ आश्रय गृह, बनारस रोड, निकट–पेट्रोल पम्प।
6. आश्रय गृह, खुल्दाबाद वार्ड कार्यालय, लकड़ मंडी के समीप।
7. आश्रय गृह, मुण्डेरा वार्ड कार्यालय के ऊपर, जी.टी. रोड, निकट– ट्रान्सपोर्ट नगर चौराहा।
8. आश्रय गृह, मुण्डेरा चुंगी, नवनिर्मित दुकानों के ऊपर, जी.टी.रोड, अंकल पी.सी.ओ के निकट।
9. आश्रय गृह, यमुना बैंक रोड, निकट– डूडा कार्यालय।
10. आश्रय गृह, लीडर रोड भवन संख्या–7, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सामने।
11. नुरूल्ला रोड/लीडर रोड मोड़ स्थित आश्रय गृह, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सामने।

आश्रय गृह, मुण्डेरी चुंगी–

रेलवे स्टेशन से 8 कि0मी0 और सिविल लाइन्स बस स्टेशन से 9 कि0मी0 दूरी पर स्थित यह आश्रय गृह वर्ष 2010 में निर्मित हुआ था। आश्रय गृह को पहचानना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस पर न ही कोई बोर्ड लगा है और न ही कोई विवरण इत्यादि उपलब्ध है। नियमानुसार संबंधित अधिकारियों के फोन नं. अथवा दूरभाष की सूचना अंकित होनी चाहिए परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल स्थानीय व्यक्ति ही इस आश्रय गृह के बारे में बता सकता है जबकि गौरतलब है कि आश्रय गृहों में निराश्रित अथवा बेघर व्यक्ति ही निवास कर सकता है। मुण्डेरा चुंगी का यह आश्रय गृह है निःशक्त जनों की पहुँच से बाहर है।

आश्रय गृह में मात्र एक कमराव दो हॉल हैं। लगभग 100 व्यक्तियों की क्षमता वाला यह आश्रय गृह चौबीस घण्टे खुला रहता है परन्तु मौके पर कोई भी इसमें निवास करता हुआ नहीं पाया गया। केयर टेकर की देख–रेख मे यह आश्रय गृह कागजों पर ही जीवित है। अर्थात इसके संचालन की रिपोर्ट प्रति माह प्रेषित हो जाती है परन्तु कोई भी मज़दूर इससे लाभान्वित नहीं है। यह एक

बिडम्बना पूर्ण स्थिति है कि इलाहाबाद शहर में दर्जनों लेबर चौराहे हैं और सैकड़ों मज़दूर फुटपाथों पर सोने के लिए विवश हैं परन्तु इन आश्रय गृहों की सुध लेने वाला कोई नहीं जो अधिकांशतः तालाबन्दी का शिकार हैं।

आश्रय गृह, बाघम्बरी गद्दी रोड

लगभग 50 व्यक्तियों की क्षमता वाला यह आश्रय गृह वर्ष 2010 में बना था। बिना किसी साइन बोर्ड अथवा पट्टिका के यह भी आम मज़दूरों की पहुँच से परे है। इसके निकट ही भारत संचार निगम लिमिटेड का कार्यालय भी है। सिविल लाइन्स बस स्टेशन से 6 कि0मी0 की दूरी पर यह अवस्थित है जबकि रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 500 मी0 है। आश्रय गृह पक्का व स्थाई है परन्तु व्यवस्थाएं कच्ची और उपेक्षापूर्ण।

नगर निगम के दो चपरासी इसकी रखवाली करते हैं। आश्रय गृह में पाँच कमरे हैं। केयर टेकर से बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ पानी की आपूर्ति सुबह–शाम नियमित तौर पर होती है। दो शौचालयों में एक ही प्रयोग करने की स्थिति में है। आश्रय गृह में चूँकि कोई अन्तःवासी नहीं है तो इस कारण यहाँ किसी भी प्रकार की कोई साफ–सफाई भी नहीं होती। यदि हम इन आश्रय गृहों हेतु बनी नियमावलियों पर गौर करें तो नियमतः जोनल अधिकारी व उसके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा आश्रय गृहों की निगरानी, निरीक्षण और मूल्यांकन समय–समय पर होना चाहिए परन्तु जब कोई भी निराश्रित व्यक्ति इससे लाभान्वित नहीं है तो इनकी स्थिति सहज ही बयान करती है कि कागजों पर ही सारे क्रियायें सम्पन्न होती हैं। यह चिन्तनीय भी है और दण्डनीय भी।

आश्रय गृह, नूरूल्ला रोड

बेघर कामगारों के लिए बना यह आश्रय गृह रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। आप इसकी पहचान इस पर लगे बोर्ड से भी कर सकते हैं। क्षमता की दृष्टि से इस आश्रय गृह में 150 व्यक्ति समाहित हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि केवल पाँच व्यक्ति ही यहाँ रहते हुए पाये गये। संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथथा कोई भी दूरभाष संख्या पटल पर उल्लिखित नहीं पाया गया। नगर निगम ने तीन कर्मचारियों को यहाँ तैनात किया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मात्र 5वीं उत्तीर्ण हैं। वे बताते हैं कि उन्हें विभाग ने प्रशिक्षण के उपरान्त ही नियुक्त किया है एक मंजिल इस भवन में कुल चार हॉल हैं। अन्तःवासियों से बातचीत करने पर पता चला कि रसोई में ताला पड़ा रहता है और व परिसर की खुली जगहों पर ही अपना खाना पकाते हैं। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। संतोषजनक स्थिति यह भी है कि भवन में चार शौचालय है और सभी चालू हालत में हैं। विद्युत व्यवस्था भी ठीक है। जल संचय केन्द्र के रूप में पानी एक टंकी लगी है जिसकी क्षमता 1000 ली. है और चार नल भी लगे हैं। यह रैन बसेरा 24 घण्टे खुला रहता है। परिसर व भवन की साफ–सफाई का काम नियुक्त कर्मचारी ही करते हैं।

वर्ष 2013 में इस आश्रय गृह का निर्माण हुआ था। कहने को यह आश्रय गृह स्थाई है परन्तु इसकी व्यवस्थाएं और इसका प्रबन्ध उन कामगारों को कतई आकर्षित नहीं करता जिसके लिए व जिसके नाम पर इसका निर्माण हुआ है। सुखद बात यहाँ रहने के नाम पर कोई वसूली नहीं होती। बसंत लाल और राम बहादुर यादव की फड़ताल में यह बात भी सामने आई कि बेहद भीड़–भाड़ वाले

इलाके में बने इस रैन बसेरे में मज़दूर आने से कतराते हैं। बात संकोच, भय और आधिकारिता की हो रही है। समझने योग्य बात यह है कि जिनके अथवा जिनके नाम पर ऐसे गृहों और आसरों का निर्माण किया जा रहा है आखिर वे क्यों सशंकित हें? क्यों भयाक्रान्त हैं और अपने प्रदत्त अधिकारों के प्रति क्यों इतने अनजान और उदासीन हैं?

आश्रय गृह, फाफामऊ

दिहाड़ी मज़दर चाहें कुशल हो अथवा अकुशल वह शहर का निर्माता होता है। शहरों के निर्माण में उसकी भूमिका कहीं से भी कमतर नहीं। कमतर और बदतर हैं उनके लिए बनायी गई व्यवस्थायें और दी गई सुविधाएं जो समुचित देखरेख के अभाव में या तो बन्दी के कगार पर हैं अथवा परित्यक्त अवस्था में है। वर्ष 2010 में निर्मित फाफामऊ का यह आश्रयगृह इसी श्रेणी में आता है। आश्रय गृह बेघरों के आकर्षण का केन्द्र क्यों नहीं हैं इस अध्ययन का यही केन्द्रीय विषय वस्तु है।

करीब 50 व्यक्तियों की क्षमता वाला यह आश्रय गृह खाली पड़ा है। मानक के अनुरू निर्मिण यह आश्रय गृह मानव रहित है। स्थानीय लोगों ने दिलचस्प जानकारियाँ दीं। नगर निगम के इस मानव रहित रैन बसेरे की रखवाली तीन कर्मचारियों के जिम्मे है जो यदा–कदा यहाँ आते रहते हैं। पीने के पानी के लिए हैंड पम्प की व्यवस्था है परन्तु जल संचय के लिए कोई टंकी नहीं है। शौचालय भी बना है परन्तु निरन्तर प्रयोग के बगैर वह भण्डारण गृह अथवा स्टोर रूम के बतौर प्रयुक्त होता है। इस आश्रय गृह में दो कमरे हैं परन्तु कोई हॉल नहीं है। पड़ताल में पाया गया कि यह गृह पूर्णरूपेण संचालित है लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। यहाँ एक शौचालय है जिसका प्रयोग वे तीन कर्मचारी ही करते हैं जो बारी–बारी से अर्थात् एक निश्चित आवृत्ति में अपनी ड्यूटी करते हैं। रसोई घर बना तो है लेकिन प्रयोग में नहीं हैं यदा–कदा जो भी मज़दूर भूल–भटके यहाँ आते हैं वे खुले में ही चाहें उनका खाना हो या पाखाना, निपटाते हैं।

फाफामऊ का यह आश्रय गृह शहर से काफी दूर है। बस स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 10 कि0मी0 है। यहाँ न कोई अधिकारी पहुँचता है और न ही कोई मज़दूर अथवा निराश्रित। आश्रय गृह के कुप्रबन्धन का नतीजा यह हे कि स्थानीय लोग इसे अपराधियों का अड्डा समझते हैं।

कही जाय अगर बात तो सोलह आने सच होगी कि बिना किसी मूलभूत आवश्यकताओं के इन्सान का जीवन दूभर है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर बना शौचालय हो या हैंडपम्प बस नाम के लिए ही हैं।

संलग्नक-2

आगरा-शेल्टर होम की सूची

नगर निगम आगरा द्वारा शेल्टर होम्स (आश्रय गृहों) की सूचीः

1. नगर निगम जोनल ऑफिस कैम्पस, लोहामण्डी।
2. तांगा स्टैण्ड के पास, ताजगंज
3. महिला चिकित्सालय, गधापाड़ा
4. राजामण्डी रेलवे स्टेशन रोड (हरी पर्वत साइड)
5. वाटर वर्क्स के सामने, जीवनी मण्डी रोड
6. धर्मकाँटा के पीछे, हाथरस रोड
7. पुरानी चुँगी स्थल, फ़िरोज़ाबाद रोड
8. चुंगी चाकी स्थल, देवरी रोड
9. पीर कात्यायनी, ताज़ प्रेस क्लब के पास
10. जलकल पीरसर, ताजगंज, फतेहाबाद रोड
11. खन्दारी में चुंगी चौकी
12. छलेसर गाटा संख्या 239, निकट नगर निगम पोखर
13. छीपीटोला चौराहा, तांगा स्टैण्ड

आश्रय गृह, राजा की मण्डी, हरी पर्वत साइड

राजा की मण्डी आगरा शहर का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से महज 11ध्2 कि0मी0 की दूरी पर लेबर चौराहा भी है। विशेष बात यह भी है कि इस स्टेशन से मात्र 100 मी0 की दूरी पर स्थित है यह आश्रय गृह जिसकी विवेचना इस अध्ययन मे की गई है। राष्ट्रीय राज मार्ग से यह 2 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। शेल्टर होम अथवा आश्रय गृह का बोर्ड नियमानुसार लगा हुआ है। परन्तु इसके अतिरिक्त आश्रय गृह में प्रदत्त सुविधाओं के बारे में कोई भी सूचना अथवा जानकारी अंकित नहीं है। यह बात और है कि रेलवे स्टेशन के निकट होने के कारण ऐसे तमाम पोस्टर अथवा पर्चे चिपकाये गये हैं जो शेल्टर होम्स की मानक व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं। किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी का कोई दूरभाष नं0 इस पर अंकित नहीं है बेघर कामगारों के लिए बने इस भवन में आग लगने के अपरान्त की मूलभूत व्यवस्थाएं भी नदारद हैं। बताते हैं कि यह शीतकालीन रैन बसेरा है।

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कोई भी दिहाड़ी मज़दूर, वह चाहें पंजीकृत हो या अपंजीकृत यहाँ निवास नहीं करता। अमूमन यहाँ ठेकेदार के आदमी रहते हैं और वे ही वसूली का काम करते हैं। वसूली का यह खेल उन पर ज्यादा बरसता हे जो इस आश्रय गृज में आश्रय पाने की आकांक्षा में यहाँ आते हैं। यहाँ ठिकाना उपलब्ध कराना एक व्यावसायिक उपक्रम है। उपक्रम कहें या धन्ध

परन्तु गृह यह सरकारी है। बेशकिमती बात यह भी है कि यह आश्रय गृह तीन मंजिला है। रेलवे स्टेशन के निकट होने के कारण यह किसी भी व्यक्ति के पहुंच के भीतर है। अमूमन प्रत्येक आश्रय गृहों में नगर निगम के अधीन कार्यरत कर्मचारी नियुक्त होते हैं ओर वे इन गृहों के आधिकारिक रखवाले होते हैं परन्तु सर्वेक्षण के अन्तर्गत यह बात भी सामने आई कि यहाँ नगर निगम का कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं पाया गया। सब ठेकेदार के जिम्मे है और ठेकेदार की व्यवस्था ठेकेदारी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस आश्रय गृह की अधोसंरचना गाबिलेगौर है। 12 कमरे हैं इस रैन बसेरे में। कुल शौचालयों की संख्या 5 है और सभी चालू हालत मैं हैं। पानी की समुचित व्यवस्था है और वह ठेकेदार की व्यवस्था के अनुसार है। प्रत्येक कमरे में एक खिड़की भी लगी है।

रियाज़ नाम है उस निजी ठेकेदार का जो सरकारी ठेकेदार सतीश अग्रवाल का शागिर्द है। ठेकेदारी की यह व्यवस्था आश्रयगृहों की मूल भावना पर गहरा कुठाराघात है और यह विवेचना इस बात का प्रमाण है कि घोर असंवेदनशीलता और निजी धन उगाही का यह केन्द्र जिसे हम सभी आश्रय गृह के रूप में जानते हैं, सरकारी व्यवस्था का खुला उल्लंघन तो है ही यह उन नीतियों का भी मखौल है जो शहर के निर्माताओं अर्थात बेघर कामगारों के लिए बना है। राजामण्डी का यह आश्रय गृह शायद इन्हीं सब बातों के लिए 'प्रसिद्ध' है।

आश्रय गृह, लोहामण्डी (जोनल कार्यालय)

लोहामण्डी आगरा शहर के व्यस्ततम इलाकों में गिना जाता है। इसी शहरी क्षेत्र में ही आश्रय गृह बना हुआ है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 500 मी0 है और बस स्टेशन यहां से 3 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है। ज्ञायतव्य है कि इध्ययन में सभी आश्रम गृहों की रेलवे व बस स्टेशनों से भौतिक दूरी को विशेष रूप से इंगित किया गया है क्योंकि इन्हीं केन्द्रों के इर्द–गिर्द ही अधिकांश बेघर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को अभिशाप्त हैं। नगर निगम के जोनल कार्यालय में बने इस आश्रय गृह पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। अन्य आवश्यक सूचनाएं व जानकारी का कोई भी ब्यौरा अंकित नहीं है।

इस आश्रय गृह में कुल तीन कमरे हैं। सिर्फ़ एक कमरा ही आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए है और बाकी दोनों कमरे नगर निगम कर्मचारियों के लिए 'सुरक्षित' है जोहामण्डी चूँकि बाज़ार के बीचों–बीच है। अतः यहाँ सुगमता से पहुँचा जा सकता है। आश्रय गृह की देख–रेख के लिए दो कर्मचारी नियुक्त हैं और वे उन्हीं सुरक्षित कमरों में रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन मंजिला नया आश्रय गृह निर्माणाधीन है। पुराने गृह की कुल क्षमता 25 व्यक्तियों की है। यह रैन बसेरा वर्ष भर नहीं खुला रहता। यह शीतकालीन आश्रय गृह और मात्र नवम्बर से फरवरी तक ही काम करता है। सर्वेक्षण के दौरान केवल 5 व्यक्ति ही पाये गये। पाँचों व्यक्ति दिहाड़ी मज़दूर हैं और प्रदेश के विभिन्न कोनों से आते हैं। सर्दियों में ही खुला रहने वाले इस गृह में ओढ़ने–बिछाने के लिए कम्बल व दरी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की सुविधा संतोषजनक है। सिर्फ़ एक शौचालय ही प्रयोग में है, बचे हुए शौचालय वर्षों से बन्द पड़े हैं। नहाने का पानी उपलब्ध नहीं है। समझने की बात यह भी है कि आगरा का पानी खारा व नमकीन होता है परन्तु शुद्ध जल यहाँ उपलब्ध नहीं होता। पूछने पर पता चला कि सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही किसी भी योजना की जानकारी मज़दूरों को नहीं है। यदा–कदा सामाजिक संगठनों के सदस्य

इस आश्रय गृह पर आते–रहते हैं और मज़दूरों को सरकारी योजना व सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन प्रश्न उठता है कि बिना किसी पहचान–पत्र के कोई भी मज़दूर सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता। सरकार मज़दूरों की पहचान को लेकर मौन है।

1. चुंगी चौकी स्थल देवरी रोड– यह शेल्टर होम सड़क के किनारे बना है। श्शेल्टर होम के दरवाजे पर ही बिजली विभाग का एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा है, शेल्टर होम की दीवार के पास ही सटी खुली नाली बह रही है और राहगीरों ने दीवार के पास पेशाब घर बना दिया है इसकी वजह से यहाँ बहुत बदबू बनी रहती है। यह शेल्टर होम दो मंजिला है ऊपर जाने के रास्ते पर ताला लगा था। पास ही एक फर्नीचर के दुकानदार ने बताया कि इस शेल्टर होम में जुआ भी होता है उसने बताया कि शेल्टर होम में 4 से 5 कमरे हैं, केयर टेकर कैलाश चन्द से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई है। और कुछ जानकारी के बारे में अनभिज्ञता जता दिया। शेल्टर होम के आस–पास आबादी और दुकानें हैं। गेट और दरवाजे पर ताले लगे होने के कारण अन्दर की स्थिति से अवगत नहीं हो पाया। यह आश्रय घर देवरी रोड के मुख्य बाजार में स्थित है। इस आश्रय घर के बारे में दिशा निर्देश करने के लिए किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा है। आश्रय घर का पता व केयर टेकर का नाम व मो. नं., आश्रय घर के ऊपर दीवार पर लिखा है जो कि खम्भे और तारों से छिपे से लगते हैं। रात के समय में वहाँ पहुँचना जरा मुश्किल लगता है वजह सवारी गाड़ी का जल्दी न मिलना।

2. छलेसर गाटा सं0 239 निकट निगम पोखर– सर्वे करने वाले सदस्य ने देखा कि शेल्टर होम का गेट बन्द पड़ा है शेल्टर होम सडक के बगल में बने पोखर से सटा बना है यह भवन एक मंजिला है जो कि फैक्ट्री के बीच में बना है यह ऐसे जगह बना है कि जो कि रास्तें में नहीं दिखता। बोर्ड जो कि पोखर के पास लगा है उस सिर्फ़ पता लिखा है उसके अलावा शेल्टर होम के किसी भी स्टॉफ, अधिकारी और ना तो किसी सुविधा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध है। शेल्टर होम में दो रूम हैं। साफ सफाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और बगल में बने पोखर में गन्दगी का ढेर है। आश्रय एन.एच–2 घर में से 1000 मीटर की दूरी पर स्थित है। रात के समय में आश्रय घर जाना उसे ढूँढ़ना मुश्किल है। पास के एक दो दुकानों पर पूछने पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ किसी तरह का कोई कर्मचारी नहीं आता। इस आश्रय घर से 1 से 2 कि0मी0 के दूरी पर ही लेबर अड्डा है।

3. छीपीटोला चौराहा (तांगा स्टैण्ड)– छीपीटोला चौराहे पर स्थित शेल्टर होम पर ताला लगा थां केयर टेकर ने फोन पर बताया कि उसकी ड्यूटी नहीं है। रजत नाम के एक लड़के न बताया कि अन्दर एक हॉल है और किचन तथा बाथरूम है और इसमें कोई सुविधा नहीं है। शेल्टर होम की सीढ़ी के पास ही दुकानें खुली हैं। रिक्शे वाले रहते हैं, बोर्ड नहीं है। शेल्टर होम की दीवार पर पता लिखा था। जिसमें किसी तरह की सुविधा का कोई उल्लेख नहीं था। शेल्टर होम के भूतल में बांस बल्ली और बाइक तथा रिक्शे खड़े थे। शेल्टर होम के पीछे जिला अस्पताल स्थित है शेल्टर होम के आस–पास दुकानें बनी है बगल में पुलिस थाना स्थित है। इस शेल्टर होम के पास किसी तरह का कोई कूड़ा फेंकने/रखने के लिए कूड़ाघर या कूड़ेदान नहीं है पुलिस थाना के बगल में सड़क के किनारे खुले में फेंका जाता है।

4. पीर कल्यानी (ताज प्रेस क्लब)– शेल्टर होम का गेट का ताला खुला था परन्तु दरवाजों पर ताला लगा हुआ था। कोई स्टॉफ मौजूद नहीं था, शेल्टर होम के कमरों में गन्दगी दिख रही थी।

सफाई की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। नाले खुले थे, नीचे के लोकर में बने स्नानघर और शौचालय बन्द पड़े थे। बाहर एक हैण्डपम्प लगा था जो कई सालों से खराब पड़ा है। शेल्टर होम का बोर्ड बसेरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर लगा था परन्तु उस पर सिर्फ पता लिखा है। और यह बोर्ड कूड़े के ढेर के पास तथा खोखे के पीछे लगा है (स्पष्टतः दिखने की स्थिति में नहीं है।) लोग बता रहे थे कि कोई भी स्टॉफ जल्दी आता नहीं। शेल्टर होम सडक के किनारे बना हे आस–पास आबादी रहती है। शेल्टर होम (आश्रय घर) की खिड़की से देखने पर पता चला कि कमरे के अन्दर धूल–मिट्टी पड़ी है। जो गद्दे दिख रहे थे वे भी गन्दे ही थे। यह आश्रय घर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पीछे बना है।

5. वॉटर वर्क्स (जीवनी मण्डी रोड)– शेल्टर होम बन्द पड़ा था गेट में ताले लगे थे नगर निगम को बोर्ड शेल्टर होम की चारदिवारी पर लगा था। जिसमें केयर टेकर का नाम लिखा था। न तो उसका मो. नं0 और न तो शेल्टर होम में मौजूद सुविधाओं के बारे में कोई जिक्र ही थां बगल की दुकन पर साइकिल बनाने वाले व्यक्ति 'राजपाल' से बात किया तो उसने बताया कि अन्दर की स्थिति खराब है। दुकानदार ने बताया कि उसमें कभी–कभी शादी–विवाह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। शेल्टर होम से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एन0एच0–2 स्थित है रोड के किनारे स्थित है। शेल्टर होम के आस–पास आबादी है बगल में आगरा जल संस्थान का ऑफिस भी स्थित हैं इस शेल्टर होम में 2 या 3 रूम हैं। शेल्टर होम के बगल में खुले स्थानों पर कूड़े पड़े थे जिसकी दुर्गन्ध आ रही थी।

6. सेन धर्मकाँटा (हाथरस रोड, रामबाग आगरा)– शेल्टर होम की स्थिति बेहद दयनीय थी। शेल्टर होम के गेट का ताला बन्द था और गेट के सामने ही कूड़ेदान में कूड़े बिखरे पड़े थे। शेल्टर होम के आस–पास आबादी और ट्रॉसपोर्ट क्षेत्र है। बगल के दुकान पर पता किया तो उन लागों ने बताया कि बहुत दिनों से खुला नहीं है। शेल्टर होम की चारदीवारी के अन्दर गन्दगी की भरमार थी, छोटे–छोटे पेड़–पौधे उगे थे ईंट–पत्थर और कूड़े से शेल्टर होम भरा पड़ा था। नगर निगम का बोर्ड लगा था जिस पर सिर्फ़ पता लिखा था। उसके अलावा ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा था जिस पर केयर टेकर का नाम व नं0 हो तथा शेल्टर होम में स्थित सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सके। शेल्टर होम की दीवारों के प्लास्टर झड़ रहे थे। बाहर से देखने पर पंखे और लाइटें लगीं थीं। लेकिन वास्तविक स्थिति के बार में पता नहीं है। यह शेल्टर होम ट्रॉसपोर्ट क्षेत्र में स्थित हैं और शेल्टर होम सड़क से अन्दर की तरफ बना है, शेल्टर होम का बोर्ड एक दिवाल के समीप लगा है जो कि सामने से नहीं दिखता। शेल्टर होम आगरा–अलीगढ़ हाइवे पर स्थित है। यह आश्रय घर रामबाग चौराहे से लगभग 1 से 1.5 कि0मी0 की दूरी पर है।

7. तांगा स्टैण्ड के पास ताजगंज– शहर में बने सभी शेल्टर होम की अपेक्षा इस शेल्टर होम की स्थिति बेहद खराब है। यह शेल्टर होम एक जर्जर मकान में बना है जिसमें एक तरफ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें लोगों का इलाज होता है। इस शेल्टर होम का कैम्पस बड़ा है जिसमें केयर टेकर सूबेदार खाँ का परिवार रहता है। इस शेल्टर होम में 3 से 4 कमरे (जिसमें एक हॉल, स्टोर रूम, किचन, रीडींग रूम आदि थे) दो शौचालय और एक स्नानघर था जो कि खराब स्थिति में पड़ा था एक वॉश बेसिन था, वह भी खराब पड़ा था। शेल्टर होम में पड़े दद्दे और रजाई की स्थिति भी खराब थी। शेल्टर होम के हॉल में 4 से 5 खिडकियाँ लगी थी जिसकी जाली टूटी पड़ी हैं शेल्टर होम के पास हैण्डपम्प भी खराब अवस्था में पड़ा है। कैम्पस में बाहरी लोगों की गाड़ियाँ

खड़ी होती हैं। कैम्पस में कूड़े के ढेर का अम्बार लगा है शेल्टर होम मुस्लिम इलाके में स्थित है इसके आस–पास घनी आबादी रहती है। इस शेल्टर होम तक पहुँचने के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। सूबेदार की पत्नी से पूछने पर उसने बताया कि सूबेदार अपने किसी साहब के साथ बाहर गये हैं। गेट पर एक बोर्ड लगा था जिस पर पता, केयर टेकर का नाम व मो0 नं0 लिखा था। उसके अलावा शेल्टर होम में उपलब्ध सुविधा तथा किसी अधिकारी का नं0 भी नहीं लिखा था। यह आश्रय घर ताजमहल के गेटे से लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। आश्रय गृह से बस स्टैण्ड की दूरी लगभग 2.5 किमी0 है। आश्रय गृह से रेलवे स्टेशन की दूरी 2.5 कि0मी0 है ओर यह आश्रय गृह आगरा–फतेहाबाद रोड से लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर आबादी के बीच स्थित है।

संलग्नक-3

इलाहाबाद-शेल्टर होम की सूची

नगर निगम ग़ाज़ियाबाद द्वारा संचालित रैन बसेरों की स्थिति

ग़ाज़ियाबाद नगर निमग द्वारा संचालित कुल 13 रैन बसेरे हैं जो शहर के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं। रैन बसेरे निर्माण के साथ उसमें मुलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया जिसमें पानी के लिए ट्यूबबेल (समर्सेबुल), शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण किया गया। परन्तु वर्तमान समय में रख रखाव के अभाव में लगभग सभी रैन बसेरे खस्ताहाल में है। इनमें से मात्र एक रैन बसेरा जो विजय नगर में अवस्थित है अच्छी हालत में मिला। इसका मुख्य कारण यह था कि रैन सबेरे का केयर टेकर स्वयं अनुशाशित रहता है जिसमें रैन बसेरे में रहने वाला सदस्य उसका सहयोग करते हैं। रसोई घर में सभी सदस्य खाना बनाते हैं। पानी टंकी में पानी भरा हुआ मिला। यहाँ एक और अच्छी व्यवस्था थी। वह यह कि इस रैन बसेरे में महिला सदस्यों के लिए अलग सेल बना हुआ है। यदि सभी रैन बसेरे इसी अवस्था में रहें तो शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को जो रैन बसेरे में रहना चाहते हैं उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

किन्तु यह रैन बसेरा ऐसे स्थान पर अवस्थित है जो बेघरों की पहुँच से दूर है। अधिक दूरी एवं आवागमन की असुविधा के कारण शहर के अन्य बेधर ऐसी सुविधा होने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था से महरूम ही रहते हैं। यह रैन बसेरा विवेकानन्द नगर में विवेकानन्द पार्क के पास अवस्थित हैं जिसका केयर टेकर राजकुमार है। राजकुमार कहने को तो नगर निगम द्वारा नियुक्त है। लेकिन एक कर्मचारी को जो सुविधा देनी चाहिए वह उसे नहीं मिलती। पिछले 3 माह से वेतन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ऐसा व्यक्ति कैसे अपने परिवार का पालन–पोषण करता होगा? वेतन न मिलने के कारण वह विकल्प के रूप में रैन बसेरे के पास ही एक गुमटी में रखकर कपड़े इस्तरी करता है। जिससे कि परिवार का खर्च निकल सके। बस इस आस में रैन बसेरे की रखवाली करता है कि वेतन आज नहीं तो कल मिलेगा ही। इसी आशा और विश्वास के साथ राजकुमार रैन बसेरे की व्यवस्था सम्भाले हुआ है। राजकुमार की खासियत यह है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को रैन बसेरे के अन्दर नहीं आने देता जो शाराब पी कर आते हैं। जो अन्य रैन बसेरों में नहीं है। यही कारण है कि वहां के निवासियों को रैन बसेरे में रहने वाले लोगों से और रैन बसेरे मे रहने वाले लोगों को के वहां के निवासियों से कोई परेशानी नहीं होती। स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाता है। वह इसलिए भी सम्भव है कि स्वयं रहने वाले लोग गन्दगी नहीं फैलाते।

इस रैन बसेरे में रहने वाले अधिकतम श्रमिक वर्ग से संबंध रखते है। जो प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से शहर में आकर मज़दूरी करते हैं। यहां पर पुरूषों के लिए 60 बिस्तर एवं महिलाओं के सेल में 3 बिस्तर। कभी–कभी यहाँ 100–150 लोग भी रहते हैं। पानी के उपयोग के लिए 1000 लीटर की टंकी है एवं इस रैन बसेरे के परिसर में नगर निगम के पानी का कनेक्सन भी है ठंड से बचने के

लिए अलाव के लिए पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था देखने को मिली। एक प्रकार से यह रैन बसेरा आदर्श रैन बसेरे के श्रेणी में रखा जा सकता है।

दूसरी तरफ वे रैन बसेरे हैं जहां पर संरचनात्मक निर्माण तो हुआ है किन्तु उचित देख रेख के अभाव में खस्ताहाल में हैं। इनमें एक रैन बसेरा जो नासिरपुर फाटक के पास है और यहाँ पर लेबर अड्डा भी है। यहाँ पानी के लिए टयूबेल पम्प है किन्तु बन्द पड़ा है। दैनिक नित्य क्रिया के लिए रैन बसेरे में रहने वाले श्रमिक या बेघर व्यक्ति सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। नासिरपुर फाटक के रैन बसेरे में शौचालय, स्नानागार तो है किन्तु चालू हालत में नहीं। क्योंकि टयूबेल ही बन्द पड़ा है। विवश होकर रहने वाले लोगों को सार्वजनिक या खुले में जाकर अपनी दैनिक नित्य क्रियाएं करनी पड़ती है।

इस रैन बसेरे में 40 लोगों की रहने की व्यवस्था है कभी 40 से कम तो कभी 40 से 60 व्यक्ति भी इसमें रात बिताते हैं। इसका केयर टेकर महेश नाम का व्यक्ति है।जिसकी आयु 23 वर्ष है। यह केवल साक्षर है। पढ़ना–लिखना जानता है। इस रैन बसेरे में अधिकतम संख्या निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की है, 2 या 3 रिक्शा चालक तथा कभी अन्य बेधर व्यक्ति भी आ जाते हैं। महेश किसी भी व्यक्ति को रैन बसेरे में रहने के लिए मना नहीं करता कोई भी रात भर गुजारा करना चाहे कर सकता है। रमेश उस व्यक्ति का नाम और पता रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और उसे बिस्तर और कम्बल दे देता है।

इस रैन बसेरे में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं बिहार राज्य से अधिक मात्रा में लोग आते हैं। यह रैन बसेरा नासिर फाटक के मुख्य सड़क पर है तथा रेलवे पटरी पास से गुजरती है यहीं पर लेबर अड्डा भी है। अतः सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ भीड़ देखने को मिल जायेगी। महेशा बताता है कि यहां की मुलभूत सुविधाओं के लिए शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बस जैसे–तैसे चल रहा है। यहाँ प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था तो है किन्तु कोई भी पंखा चालू हालत में नहीं, मनोरंजन के लिए टेलीविजन तो है लेकिन चालू हालत में नहीं। पीने के पानी के लिए बाहर नल से पानी लाना पड़ता है।

इस रैन बसेरे में आने वाले अधिकतम श्रमिक शराब पीकर आते हैं। कुछ एक अन्तःवासी तो अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लेते हैं जिसके कारण झगड़े–लड़ाई या अनहोनी की घटनाएं होती रहती हैं। कभी–कभी किसी व्यक्ति का पैसा एवं सामान भी चोरी हो जाता है। बाहरी शराबी व्यक्तियों के लिए भी यह रैन बसेरा महफूज जगह है। रमेश किसी भी व्यक्ति को इसलिए नहीं कुछ बोल पाता कि कहीं कोई उसी से झगड़ा–लड़ाई न कर ले। रात को 10–11 बजे रैन बसेरे का चैनल गेट बन्द कर दिया जाता है।

रैन बसेरों में भ्रमण से यह देखने का मिला कि इनमें मूलभूत सुविधाओं का तो निर्माण किया गया है किन्तु शासन की उपेक्षा के कारण बदतर हालत में है।

संलग्नक-4

नगर निगम कानपुर द्वारा संचालित रैन बसेरों की स्थिति पर एक रिपोर्ट

कानपुर नगर में संचालित रैन बसेरों का भौतिक सत्यापन व उसकी स्थिति के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार 26 रैन बसेरे संचालित हैं परन्तु भौतिक सत्यापन में कुल 31 रैन बसेरे मिले जिनका सत्यापन दिनांक 07–011 से 21–11–2015 के बीच किया गया जिसमें 28 खुले मिले 3 रैन बसेरा क्रमांक– 29,30, 31काफी प्रयास के बाद नहीं खुल पाया। 28 में से एक एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित है, एक धर्मशाला द्वारा संचालित है तथा एक लायंस क्लब द्वारा संचालित है। रैन बसेरों की स्थिति इस प्रकार पायी गयी है।

1. भैरव घाट रैन बसेराः– यह जोन नं0 एक सिविल लाईन में गंगा नदी के करीब वी0 आई0 पी0 रोड के पास बनाया गया है विजिट के समय वहां पर दूसरे व तीसरे मंजिल के लिए निर्माण कार्य चल रहा था सामने टैफको फैक्ट्री जो कई वर्षों से बन्द पड़ी है उसके गेट व रैन बसेरे के सामने रखा जाने वाला कूड़ा हमेशा बदबू करता है इस रैन बसेरा पर शहरी आजीविका मिशन का बोर्ड लगा है परन्तु संचालित नहीं है।

2. परमट रैन बसेराः–यह रैन बसेरा भी जोन–एक सिविल लाईन में वी0 आई पी0 रोड के करीब टैफको फैक्ट्री के दूसरे छोर पर बना है। यहाँ पर दो बार रात्रि के समय पर जाने पर बन्द मिला सहायक अभियन्ता से बात की गयी तो उन्होंने बताया की आप जब जाईये तो फोन करें उसके बाद जाने पर खुला मिला यहाँ दो चपरासी हैं परन्तु लेबर अड्डा दूर होने के कारण मजदूर नहीं आते है कभी–कभी साधु व मन्दिर दर्शनार्थी एक दो लोग सो जाते हैं।

3. नवाबगंज रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन नं0 6 वी0 आई0 रोड के पास नवाबगंज क्षेत्र में बना है। यहाँ साफ–सफाई ठीक है तथा मजदूर भी आते हैं।

4. हैलट अस्पताल रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन नं0. 6 जी0टी0 रोड पर हैलट अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) के अन्दर बना है। यह दो मंजिला है और साफ–सफाई ठीक है। यह लायन्स क्लब कानपुर द्वारा संचालित है।

5. एक्सप्रेस रोड हुलागंज रैन बसेराः– यह रैन बसेरा घंटाघर के पास एक्सप्रेस रोड पर बना है। यह दो मंजिला है। नीचे के0डी0ए0 का हॉल है जहां हर प्रकार के लोग सोते हैं ऊपर नगर निगम का रैन बसेरा है जहाँ बिजली तो है, परन्तु पंखे नहीं लगे हैं। अँधेरा रहता है लोग वहाँ नहीं जाते हैं। क्योंकि एक चपरासी है ज्यादातर ताला लगा रहता है।

6. काकादेव (कुलबन्दी हास्पिटल के पास) रैन बसेराः– यह रैन जोन 6 में जी0टी0रोड के पास है। यहाँ साफ–सफाई ठीक है परन्तु मजदूर बहुत कम आते हैं जबकि सन्त नगर लेबर अड्डा नजदीक है।

7. पनकी मन्दिर रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन नं0 6 में पनकी मन्दिर रोड पर मन्दिर के पास बना है। यहाँ गंदगी बहुत है यहाँ केवल साधु लोग सोते उनके पास ही चाभी रहती है यहाँ कोई

चपरासी नहीं मिला।

8. शास्त्री नगर रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन नं0–6 में कापली रोड सेन्ट्रल पार्क राम लीला मैदान के पास बना है यह रैन बसेरा श्रमिक कल्याण परिषद् द्वारा संचालित है। यहाँ किराये पर 3 हजार से 5 हजार रुपये तक शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम के लिए दिया जाता है।

9. कानपुर चिड़िया घर (पहलवान पुरवा) रैन बसेराः– यह जोन–6 गंगा बैराज रोड पर बना है। यह ज़्यादातर बन्द रहता है यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यह रैन बसेरा दबंग लोगों के कब्जे में है तथा जानवर बाँधे जाते हैं।

10. स्वरूप नगर (बालभवन) रैन बसेराः– यह बसेरा जोन न0–4 जी0टी0 रोड के पास बना है। यह हमेशा बन्द रहता है यहाँ पर नगर निगम का कूड़ा रखा जाता है। यह बाहर से देखने से जानकारी मिली। इस रैन बसेरा की पूरी जानकारी आर0सी0 गुप्ता अवर अभियन्ता के द्वारा मिली। उन्होंने बताया कि अभी पुताई हो रही है उसके बाद ज्यादा ठंडी के बाद खोला जाता है।

11. सीसामऊ (नगर निगम अस्पताल) रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–4 में पी0 रोड पर बना है यहाँ गंदगी बहुत है यह किसी नेता के कब्जे में है।

12. बी0एन भल्ला अस्पताल रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन नं0 3 जी0टी0 रोड के पास बना है। यहाँ साफ–सफाई ठीक है। यहाँ पानी की टंकी फटी होने के कारण पूरे छत में पानी भर जाता है।

13. गोविन्द नगर (जोगेश्वर अस्पताल) रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन 5 चावला मार्केट के पास में बना है यह अस्पताल भी चलता है और जोन 5 का कार्यालय भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जिले से बाहर के लेबर सोते हैं साफ–सफाई ठीक है।

14. जूही आयर्वेदिक अस्तपाल (लाला केदारनाथ धर्मशाला) रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–5 में लाला केदारनाथ के नाम से चलता है जिसका मालिक हरिचन्द गुप्ता है। इसमें रूकने पर 10 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क लेते हैं। यहां श्रमिकों के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

15. श्याम नगर रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन 2 जी0टी0 रोड के पास बना है। यहाँ पर जल निगम का कार्यालय भी बना है। यहाँ पर साफ–सफाई ठीक है परन्तु लेबर कम आते हैं।

16. जाज मऊ रैन बसेराः– यह रैन जोन–2 में डीफेन्स कॉलोनी के पास बना तथा जी0टी0रोड के नजदीक है। यहाँ नगर निगम जोनल कार्यालय व सामुदायिक केन्द्र भी बना है।

17. उस्मानपुर गौशाला चौराहा रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन 3 हमीरपुर के पास बना है। यहाँ साफ–सफाई ठीक है। परन्तु लेबर अड्डे की दूरी होने के कारण एक दो लेबर आते हैं।

18. फूलबाग (बालभवन) रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन –1 शुक्लागंज रोड पर बना है। यह रैन बसेरा मजदूरों की पहुँच से बहुत दूर है।

19. कोपरगंज (चाचा नेहरू अस्पताल कम्पाउन्ड) रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–1 बास मंडी घंटाघर के पास में बना है। यहाँ पर बहुत कम लेबर आते हैं।

20. दर्शन पुरवा (मातृत्व केन्द्र) रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–6 जरीब चौकी के पास कालपी रोड व जी0टी0 रोड के मध्य बना है। यहाँ पर केवल एक कमरा रैन बसेरा के लिये उपयोग में आता है बाकी अस्पताल के उपयोग में है।

21. विजय नगर रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–6 कापली रोड पर बना है। यह रैन बसेरा लेबर अड्डा से बहुत दूर है। यहाँ पर शौचालय की दशा खराब है, पंखे खराब हैं एक चपरासी होने के

कारण यह अवकाश नहीं ले पाता है।

22. सरसैया घाट रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–1 तथा सिविल लाईन एरिया वी0 आई0 पी रोड के पास में बना है। यहाँ शौचालय पानी की कोई सुविधा नहीं है। गंदगी बहुत है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर गंगा में स्नान करने वाले यात्री होते हैं।

23. सूटर गंज ग्वाला टोली रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–1 विक्टोरिया मिल तिराहा के पास मछली वाला हाते में बना है। यहाँ पर मरम्मत कार्य चल रहा था। इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्त्वों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और गेट के सामने कूड़ा व पानी बहता रहता है।

24. चन्द्रिका देवी जच्चा–बच्चा केन्द्र रैन बसेराः– यह रैन सबेरा जोन–1 में चन्द्रिका देवी मन्दिर के सामने बना है। यह दिन में अस्पताल और रात्रि में एक कमरे में रैन बसेरा चलता है। इसी कमरे में अस्पताल के सामान रखे होने के कारण श्रमिकों को सोने की समस्या होती है। यह जानकारी मिली है कि कुछ समय बाद यह रैन बसेरा हटा दिया जायेगा, बिछाने के लिए सामान की कमी है।

25. डिप्टी पड़ाव रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–4 कालपी रोड स्टेशन रोड पर बना है यह एक संस्था वारसी सेवा सदन द्वारा संचालित है यहाँ कोई भी चौकीदार नहीं मिला यहाँ पर सीवर जाम होने के कारण कोई मजदूर नहीं आता है। पानी की भी समस्या है। यह जानकारी एक रिक्शे वाले ने बताया जिसके पास ही उसके चाभी रहती है।

26. चुन्नी गंज बस स्टॉप के बगल का रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन–1 में वी0आई0 पी रोड पर बना है यहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा था। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है। जिसमें आयुक्त महोदय की तरफ से लिखा है कि व्यक्ति से 10 रुपया प्रति दिन के हिसाब से लिया जायेगा।

27. सुतर खाना घंटा घर रैन सबेराः– यह रैन बसेरा जोन–1 कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 9 के बगल में बना है। यहाँ पर पीछे की दीवाल नशेड़ियों द्वारा गिरा दी गई है। इसलिए रैन बसेरे में चोरी होने का खतरा रहता है। यहाँ बाथरूम नहीं बना है तथा कमरे के अन्दर छत से पानी आता है।

28. जूही हरिनाथ पार्क परम पुरवा रैन बसेराः– यह रैन बसेरा जोन– 5 हरिनाथ पार्क के पास बना है, इस रैन बसेरा से लेबर अड्डा बहुत दूर है, जिसके कारण कोई लेबर नहीं आता है।

29. टी0पी0 नगर रैन बसेराः– यह रैन बसेरा ढकना पुरवा बस्ती के पास टी0पी नगर में बना है। कई बार सम्पर्क के बाद भी नहीं खुला, कोई कार्यकर्ता भी नहीं मिला।

30. रैन बसेरा गोविन्द नगरः– यह रैन बसेरा राम आसरे नगर पीले पुल गायत्री मन्दिर के पास बना है परन्तु यह कभी–कभी खुलता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पायी।

31. जूही परम पुरवा रैन बसेराः– यह रैन बसेरा रत्न लाल शुक्ल इन्टर कॉलेज के पास बना है। यहाँ लगातार सम्पर्क करने के बाद भी खुला नहीं मिला इसके लिये अवर अभियन्ता से भी सम्पर्क किया इसके बाद भी रैन बसेरा खुला नहीं मिला।

संलग्नक-5

लखनऊ : मज़दूरों का आशियाना रैन बसेरा

सी-ब्लॉक, इन्दिरा नगर, लखनऊ

आँकड़ों के मुताबिक लखनऊ नगर निगम कुल सात परिक्षेत्रों में बँटा हुआ है। इन्दिरा नगर में अवस्थित यह रैन बसेरा सातवें परिक्षेत्र में पड़ता है। कही जाय अगर बात तो यह सोलह आने सच होगी कि यदि किसी गृह का रखवाला अन्तःवासियों अथवा परिवारीजनों के प्रति संवेदनशील और समर्पित है तो निश्चय ही उस गृह या आशियानों में एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बना रहेगा। इसी की मिसाल है यह रैन बसेरा जिसकी आर्दश स्थितियां उन रैन बसेरों को आइना दिखाती हैं जो निरन्तर कुप्रबन्धन और अनदेखी का शिकार रहे हैं। इन्दिरानगर के सी–बलॉक स्थित रैन बसेरे का रखवाला है शिव शंकर। शिवशंकर की उम्र 26 वर्ष है और दिलचस्प बात यह है कि वह इस बसेरे में अपनी माँ के साथ रहता है। उसने बताया कि उसे यह नौकरी मृतक आश्रित के तौर पर मिली है। कुछ वर्ष पहले लम्बी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी नौकरी से संतुष्ट है और शायद यही वजह है कि उसने रैन बसेरे को मज़दूरों के बेहतर आशियाने में तब्दील कर दिया है। रैन बसेरे में स्वसंचालित अनुशासन है। कमरों के अन्दर कोई भी अपने जूतों–चप्पलों सहित प्रवेश नहीं कर सकता। लगभग 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले इस भवन में कुल 36 श्रमिक/मज़दूर पाये गये। इस रैन बसेरे में स्थित अधोसंरचना की बात की जाय तो इसमें एक हॉल, दो कमरे, एक भण्डारण कक्ष, तीन स्नानागार और चार शौचालय हैं। पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था है जब हमने बातचीत शुरू की तो सभी मौजूद श्रमिकों ने जैसे हमें घेर लिया और बड़ी तन्मयता और कौतूहल से पूरी बातचीत सुनते रहे। इस रैन बसेरे में आकर कोई इनका हाल भी जान सकता है यह भी एक कौतूहल ही था। इस रैन बेसेरे में खाना पकाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। खुले में जिसको जहां जगह सुलभ हो जाये अपनी लकड़ियाँ दो ईंटों के बीच जलाकर अपना खाना पका लेता है। पूछने पर पता चला कि केयर टेकर शिवशंकर की माँ चूंकि अन्दर रहती है इसलिए कोई भी मज़दर रसोई नुमा बने कमरे में प्रवेश नहीं करता। यह स्वचालित व्यवस्था है और हर मज़दूर इसका पालन करता है हमने पूछ लिया कि किसी झगड़े–विवाद की स्थिति में क्या करते हैं तो जवाब मिला कि– यहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो काफ़ी सालों से हैं और उस दशा में वे ही अभिभावक की भूमिका में होते हैं। बहरलाल लखनऊ शहर ही नहीं प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ सभी महकमों के आला अधिकारी आपको मिल जायेंगे। पूछना पड़ा कि क्या कोई आला अफसर आपकी खैर ख़बर लेने आता है तो जवाब मिला– नहीं। कारण स्पष्ट है आला आखिर अदने से क्यों मिले। अदना सा सवाल है कि 23 रैन बसेरों में मात्र एक की हालत थोड़ी ठीक–ठाक है तो बाक़ी सभी दलितों के दक्खिन टोले जैसे क्यों?

रैन बसेरा चिनहट

वर्ष 2011 से संचालित यह रैन बसेरा जनपद लखनऊ के पूर्वी छोर पर स्थित है। बतातें चले कि लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित कुल रैन बसेरों की संख्या 23 है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि पक्के भवनों वाले रैन बसेरों की दशा (कुछेक अपवाद छोड़कर) इतनी खराब है कि बेघर और निराश्रित दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों के लिए बने इन भवनों में आवारा पशु जैसे–सुअर, गाय, कुत्ते और साँढ़ इसमें चरते दीख पड़ते हैं।

बाजार के बीचों–बीच बसा चिनहट का यह रैन बसेरा इस मायने में कहीं से भी अलग नहीं है। लगभग अस्सी व्यक्तियों की क्षमता वाले इस बसेरे में कोई भी कभी भी आ सकता है, जा सकता है। भवन का मुख्य द्वार नक्शे के मुताबिक बना तो है, परन्तु कोई दरवाजा नहीं है। अन्तःवासियों की अनेक चिंताओं व शिकायतों में यह भी एक प्रमुख बिन्दु है। आइये अब मूलभूत सुविधाओं की पड़ताल करते हैं। पीने के पानी से लगायत शौचालय, स्नानागार दोनों ही नदारद हैं। अन्तःवासियों से बात करने पर पता चला कि यहां सबमर्सिबल पम्प भी लगा है लेकिन यह भी बिना रख–रखाव के कारण परित्यक्त पड़ा है। भवन की अधोसंरचना इस प्रकार है–2 बड़े हॉल, 2 रसोई घर, 2 स्टोर कक्ष, 2 बैठक के लिए कमरे और छत के ऊपर 1000 ली0 पानी की टंकी लगी है। इस रैन बसेरे में नगर निगम के तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। इनके नाम हैं– गंगा प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद यादव और विशाल श्रीवास्तव। इसमें कोई शक नहीं कि ये तीनों कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं और इनके समर्पण का ही नतीजा है कि बिना किसी सुविधाओं में रहने वाले श्रमिक इनके खिलाफ व्यक्तिगत बातचीत में भी कुछ नहीं कहते। सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये श्रमिक इनके रैन–बसेरों की खस्ता हालत के विरूद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठाते? समझने योग्य बात यह भी है कि सर्द हवाओं और ठिठुरन भरी रातों के लिए यह रैन बसेरे आखिरकार एक ठिकाना तो हैं हीं तो फिर चन्द रातों की बेबसी का बयान करें तो क्योंकर? बातचीत में यह उजागर हुआ कि नगर निगम के इस परिक्षेत्र के जोनल अधिकारी श्री अनूप बाजपेयी हैं जो यदा–कदा 'तिमाही विजिट' से रैन–बसेरे का हाल–चाल लेते रहते हैं। देखा जाय तो इस पूरी कवायद के पीछे एक कारण है जो कौतूहल भी पैदा करता है और कोफ़्त भी। इन्सानी जिन्दगी के बहुतेरे पक्ष होते हैं परन्तु इन्सान की जिन्दगी चलाने के लिए यदि एक अदद पानी भी सैकड़ों मीटर दूर जाकर लेना पड़े और नित्यक्रिया के लिए रोज़ाना 20 रुपये अतिरिक्त शुक्ल भी अदा करना पड़े तो फिर कल्पना की जा सकती है कि दिहाड़ी मज़दर जिसे ब–बुश्किल महीने में 10 या 15 रोज़ काम मिल पाता है वह अपना गुजारा कैसे करता होगा! ब्जबजाती नालियों, दुर्गन्ध और सड़ांध से सराबोर ऐसे ठिकानों को देखकर आखिर किसे कोफ़्त नहीं होगी। गांव से पलायित ऐसे कामगारों की संख्या बहुतायत में है। सरकारी धन से संचालित रैन सबेरों की संख्या भी कम नहीं है। किल्लत इस बात की है कि इन रैन बसेरों की बदहाली पर किसी की नज़र नहीं। कहना न होगा कि समय रहते इन भवनों की समुचित देख–भाल यदि न की गई तो भविष्य में ये भवन ज़रायम और नशाखोरी के अड्डे बन जायेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है।

संलग्नक-6

नगर निगम मेरठ द्वारा संचालित रैन बसेरों की स्थिति

मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भाग है। यह क्षेत्र कृषि उपजाऊ है, किन्तु शहरों में व्यापार एवं निर्माण कार्य के जिए जाना जाता है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिक मेरठ के आस–पास के गावों से कार्य करने के लिए आते हैं या दूर के गांव या अन्य शहरों से आते हैं। इस शहर में कुड़े बिनने वाले, रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, ठेले खोमचे लगाने वाले एवं अन्य रोजी–रोटी के कार्य करने वाले या तो बेघर है या कहीं खाली पड़ी भूमि पर झुग्गी बना रहने लगते हैं। इन्हीं बेघर असहाय लोगों के लिए मेरठ नगर पालिका ने शहर के विभिन्न हिस्से में कुल 12 रैन बसेरों का संचालन कर रहा है जो निम्न लिखित स्थानों पर स्थित है।

1. संक्रामक अस्पताल परिसर सूरजकुण्ड 2. टाउन हॉल
3. सूरज कुण्ड वाहन डिपो के पीछे 4. नौचण्डी ग्राउण्ड तिरंगा गेट पानी टंकी के पास
5. बच्चा पार्क 6. भोला रोड बाई पास के नजदीक
7. मेडिकल कॉलेज के अन्दर 8. पेरतापुर गगोले रोड
9. भोरग्रही 10. पलाव पुरम
11. कासिमपुर 12. बागपत रोड मुल्तान नगर

ये सभी रैन बसेरे ऐसे स्थानों पर अवस्थित हैं जहां पर लोगों की पहुँच से दूर हैं कुछ शहर के अन्दर तो कुछ शहर की पहुँच ही नहीं है। कुछ शहर के अन्दर तो कुछ शहर के अन्तिम छोर पर हैं। प्रत्येक रैन बसेरे की अधोसंरचना व्यवस्थित बनाई गयी है किन्तु रख रखाव के अभाव में गंदगी का सैलाब है।

बच्चा पार्क में स्थित एक रैन बसेरा है जो इन्हीं अभावग्रस्त सुविधाओं का शिकार है। जहाँ 10 लोगों के रहने का तख्त, शौचालय, स्नानागार, पानी की टंकी आदि सभी सुविधाएं हैं किन्तु बिजली का कनेक्शन कटा हुआ शौचालय एवं स्नानागार में नल तो है किन्तु पानी नहीं आता जबकि पानी की सप्लाई नजदीक के पम्प से ही होता है रैन बसेरा रेहड़ी लगाने वाले, फल बेचने वाले, भीख, मांगने वाले एवं अन्य बेघरों का सहारा है।

रैन बसेरे तो लगभग प्रत्येक शहर मे हैं किन्तु संबंधित विभागों, मंत्रालयों एवं सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं। सरकार अपने नैतिक कर्तव्य को भी पूरा करने में भी असमर्थ है। क्योंकि यही सरकारें शपथ लेते समय संविधान को पालन करने की शपथ लेती हैं जबकि ऐसे नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंचा सकतीं जो बेघर एवं लाचार हैं योजनाकारों एवं सरकार को इस बात कर ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि जिनके लिए रैन बसेरे बने हैं वे वहाँ की मूलभूत सुविधाओं का उपयोग कर सकें। क्या ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं? क्या इन्हें जीने का हक़ नहीं है?

विज्ञान फाउण्डेशन एक चैरिटेबल सामाजिक संस्था है जो पिछले कई वर्षों से लखनऊ व आस पास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वंचित समुदाय के लोगों के मूल–भूत अधिकारों के लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ संघर्षरत् है। विज्ञान फाउण्डेशन लोगों की ज़रूरतों के लिए एक रचनात्मक और सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। विज्ञान फाउण्डेशन का गठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1988 में हुआ। हमारा उद्देश्य लोगों की गरिमा के एहसास को मजबूत बनाना और समुदाय आधारित संगठनों के निर्माण के माध्यम से लोगों की बुनियादी अधिकारों की लड़ाई मज़बूत करना है। हमारा सपना शोषण से मुक्त समाज की स्थापना करना है।

विज्ञान का विश्वास है कि लोगों के जीवन के स्तर में व्यापक बदलाव तभी संभव है जब परिवर्तन की बागडोर लोगों के अपने हाथ में हो। इस नज़रिए के साथ विज्ञान टीम शहरी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में रहने वाले मेहनतकश व आश्रयहीन समुदाय के साथ उनके सुरक्षित आवास व आजीविका के मुद्दे पर काम करती है। हमारा लक्ष्य समूह महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं। हमारा उद्देश्य अलग अलग व्यवसायिक समूहों का संगठन निर्मित करके उन्हें एक व्यापक मोर्चे से जोड़ना है। हमारा यक़ीन है कि लोगों की अगुवाई में संगठन के रास्ते ही मुद्दों पर सार्थक संघर्ष किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व शिक्षा कार्यवाही के प्रमुख मुद्दे हैं।

विज्ञान फाउण्डेशन द्वारा संचालित अर्बन रिसोर्स सेन्टर के ज़रिए समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर पैरोकारी के लिए संदर्भ सामग्री प्रकाशित की जाती है।

विज्ञान फाउण्डेशन

डी–3191, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

E-mail : vigyanfoundation@yahoo.com

Website : www.vigyanfoundation.org